सत्यमेव जयते

पंचदश बिहार विधान–सभा के द्वितीय, पंचम, सप्तम एवं अष्टम सत्र के अल्पसूचित एवं तारांकित अनागत प्रश्नोत्तरों की कुल संख्या–144 (एक सौ चौवालीस)

विषय–सूची

क्रम सं०	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिन्ह	पृष्ठ
1	2	3	
	द्वितीय सत्र		
1	श्रीमती उषा सिन्हा	ग्राम्य–65	1
	पंचम सत्र		
1	श्री गोपालजी ठाकुर	लघु–14	1
	सप्तम सत्र		
1	श्रीमती मुन्नी देवी	पथ–22	1–2
2	श्री फैयाज अहमद	उ–2	2
	अष्टम सत्र		
1	श्री अवधेश कुमार राय	ग्राम्य–19, ग्राम्य–21	2–3
2	श्री अरुण कुमार सिन्हा	ग्राम्य–137	3
3	श्री आनन्दी प्रसाद यादव	ग्राम्य–269	3–4
4	श्री (मो०) आफाक आलम	ग्राम्य–310	4
5	श्री अब्दुल गफूर	ग्राम्य–458	4–5
6	श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी	लघु–37	4–5
7	श्री अमन कुमार	ग्राम्य–496	5
8	श्री अशोक कुमार यादव	ग्राम्य–553, ग्राम्य–554	5–6
9	श्री अम्बिका सिंह	पथ–13, लघु–40	6
10	श्री अभिराम शर्मा	लघु–105	7
11	श्री अनिल कुमार	लघु–125	7
12	श्री अरुण शंकर प्रसाद	उ–34	7–8
13	डॉ० अच्युतानन्द	उ–58, उ–59	8–9
14	श्री अशोक कुमार सिंह	उ–80, उ–81, उ–82	9
15	श्री अरुण कुमार	उ–100	10

1	2			3	4
16	श्री अवनीश कुमार सिंह	..	..	अ-194	10-11
17	श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन	..	..	ता-6	11
18	श्री बृज किशोर सिंह	..	..	ग्राप्य-334	11
19	श्रीमती भागीरथी देवी	..	..	सामु-102	11-12
20	श्री चितरंजन कुमार	..	..	ग्राप्य-69, अ-22	12
21	श्री छेदी पासवान	..	..	पत्र-38	12-13
22	डॉ० दाउद अली	..	..	अ-87, अ-129	13-14
23	श्री दिनेश कुमार सिंह	..	..	अ-113	14
24	श्रीमती देवती यादव	..	..	अ-120	14
25	श्री गजानन्द शाही	..	..	ग्राप्य-521	14-15
26	श्री गोपालजी ठाकुर	..	..	ग्राप्य-531	15
27	श्री ज्ञानचंद मांझी	..	..	ग्राप्य-15, ग्राप्य,16,	15-16
				ग्राप्य-17, अ-196	16-17
28	श्री हरिनारायण सिंह	..	..	ग्राप्य-48, ग्राप्य-146	
				अ-148	
29	श्रीमती ज्योति देवी	..	..	अ-108, अ-109	18-19
				ग्राप्य-298, ग्राप्य-299	
30	श्रीमती ज्योति रश्मि	..	..	ग्राप्य-522	19-20
31	श्री जावेद इकबाल अंसारी	..	..	अ-107	20
32	श्री जितेन्द्र कुमार	..	..	अ-122	20-21
33	श्री जनक सिंह	..	..	अ-134	21
34	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	..	..	ग्राप्य-409	21
35	श्री कृष्णनंदन पासवान	..	..	ग्राप्य-480, अ-115	21-22
36	श्री कौशल यादव	..	..	अ-126	22
37	श्रीमती कविता कुमारी	..	..	अ-188	22
38	श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा	..	..	क-20, अ-132	23
39	श्री कुमार शैलेन्द्र	..	..	ग्राप्य-43	23-24
40	श्री ललन राम	..	..	ग्राप्य-258	24
41	श्रीमती मंजु हजारी	..	..	ग्राप्य-32	24
42	श्रीमती मुन्नी देवी	..	..	पत्र-78	24-25
43	श्री मंजीत कुमार सिंह	..	..	अ-06	25
44	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	..	..	अ-65	25-26
45	श्रीमती मनोरमा प्रसाद	..	..	अ-93	26
46	श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ सुनील पाण्डेय	..	..	ग्राप्य-33	26
47	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	..	..	ग्राप्य-263	26
48	श्री नरेन्द्र कुमार नीरज	..	..	अ-187, ग्राप्य-555	27
49	श्रीमती नीता चौधरी	..	..	अ-21	27-28
50	श्री नीरज कुमार सिंह	..	..	अ-141	28
51	श्रीमती पूनम देवी यादव	..	..	ग्राप्य-130, ग्राप्य-311	28-29
				ग्राप्य-301, अ-71	
52	श्री पवन कुमार जायसवाल	..	..	अ-19	30
53	श्री प्रदीप कुमार	..	..	अ-111, अ-112	30-31

1	2	3	4
54	श्री प्रेम रंजन पटेल	त्र–124	31
55	श्री राहुल कुमार	त्र–63, त्र–64	31–32
56	श्री राजेश्वर राज	त्र–31, लघु–29 ग्राम्य–35	32–33
57	श्री राम बालक सिंह	ग्राम्य–58	33
58	श्री रत्नेश सदा	ग्राम्य–88, ग्राम्य–490 लघु–123	34–35
59	श्री राम प्रवेश राय	ग्राम्य–148	35
60	श्री रामानन्द राम	ग्राम्य–256, ग्राम्य–463, त्र–114	35–36
61	श्री रामचन्द्र सदा	ग्राम्य–543	36
62	श्रीमती रंजु गीता	लघु–42, लघु–43	37
63	श्री राजेश सिंह	लघु–45	37–38
64	श्री राम नरेश प्रसाद यादव	ग्राम्य–53, लघु–34 त्र–33	38–39
65	श्री रामधनी सिंह	त्र–38	39
66	श्री राजकुमार राय	त्र–66	40
67	श्री रामायण माँझी	त्र–75	40
68	श्री रामचन्द्र सहनी	त्र–94	40–41
69	श्री राम लषण राम "रमण"	त्र–102, त्र–103	41
70	श्री रणविजय कुमार	त्र–119	42
71	श्री सुबोध राय	ग्राम्य–30	
72	श्री संजय सरावगी	ग्राम्य–461	42
73	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा	ग्राम्य–31, ग्राम्य–401	42–43
74	श्री संजय सिंह टाईगर	ग्राम्य–377, अल्पसू०–6, त्र–110	43–44
75	श्री संतोष कुमार निराला	लघु–24, त्र–26, त्र–27	44–45
76	श्री सतीश चन्द्र दूबे	त्र–105, त्र–106, त्र–150	45–46
77	श्रीमती सुजाता देवी	त्र–145	46
78	श्री सतीश कुमार	त्र–200	46–47
79	श्री शिवेश कुमार	ग्राम्य–439	47
80	श्री श्यामदेव पासवान	ग्राम्य–54	47–48
81	श्री श्याम बिहारी प्रसाद	त्र–67	
82	श्री तार किशोर प्रसाद	ग्राम्य–369	48
83	श्री तौसीफ आलम	लघु–114	48
84	श्री उमाकान्त यादव	त्र–98 त्र–74, ग्राम्य–139	49–50
85	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	ग्राम्य–4, ग्राम्य–5, ग्राम्य–518, त्र–28, त्र–55	50–51

86.	श्री विनोद कुमार सिंह	..	..	अल्प–473, ता–155	51–52
87.	श्री विनोद प्रसाद यादव	..	..	अल्प–51	52
88.	श्री वीरेन्द्र सिंह	..	..	ध्या–1	52–53
89.	श्री विक्रम कुंवर	..	..	ता–37	53
90.	श्री विभाष चन्द्र चौधरी	..	..	अल्प–807	53–54
91.	श्री विनय कुमार सिंह	..	..	अल्प–540	54
92.	श्री विनय बिहारी	..	..	ता–101	54

भवन बनाना

ग्राम्य–85. श्रीमती उषा सिन्हा—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत परवलपुर प्रखंड का कार्यालय सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परवलपुर प्रखंड का कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत परवलपुर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–निरीक्षण कमरा, आवास निर्माण एवं परिसर विकास हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त कुल 8 करोड़ 91 लाख रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसमें विभाग द्वारा पत्रांक 11963, दिनांक 28 जून, 2012 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। भवन निर्माण से संबंधित आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई भवन निर्माण विभाग द्वारा की जाती है।

अतिथि गृह निर्माण

ग्राम्य–14. श्री गोपालजी ठाकुर—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में किसी भी विभाग का अतिथि गृह नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय दरभंगा एवं समस्तीपुर जिला के सीमा पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालय में एक अतिथि गृह निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) प्रखंड मुख्यालय में अतिथि गृह निर्माण का राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं है। उक्त आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड में अतिथि गृह निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हस्तांतरण करना

पथ–22. श्रीमती मुन्नी देवी—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत एन०एच०–84 बिहिया–बीरसा से सलेमपुर पी०डब्लू०डी० पथ का निर्माण पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत एन०पी०सी०सी० लिमिटेड के द्वारा कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एन०पी०सी०सी० लिमिटेड के पत्रांक 71917, दिनांक 12 अगस्त, 2011 एवं पत्रांक 719107, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, आरा को पथ का हस्तान्तरण लिए जाने का अनुरोध किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का हस्तांतरण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रांक 573, दिनांक 22 अगस्त, 2012 पर मंत्री, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 1326, दिनांक 23 अगस्त, 2012 द्वारा सचिव, पी०डब्लू०डी० को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को हस्तांतरण कर निर्माण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) (2) (3) एवं (4) वस्तुस्थिति यह है कि पथ जिसकी लम्बाई 10 कि०मी० है, PMGSY के तहत NPCC द्वारा कार्य कराया गया था। कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 31 मार्च, 2009 थी। वर्तमान में पथ DLP के अन्तर्गत है एवं पथ की स्थिति जर्जर है। स्पष्टतः निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया गया होगा।

(ख) सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को निर्माण कार्य की जाँच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। पथ की जर्जर स्थिति को देखते हुए उक्त योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त इसे वित्तीय वर्ष 2013–14 के वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर कार्य का कराया जायेगा।

छात्रावास का निर्माण

उ–2. श्री फैयाज अहमद—क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखंड के दमला गाँव में स्थित मदरसा के बाउन्ड्री एवं उसके छात्रावास निर्माण हेतु प्राप्त राशि जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा जुलाई, 12 में ही कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, मधुबनी को उपलब्ध करा दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राशि की उपलब्धता के बावजूद अबतक उक्त कार्य को कराने हेतु निविदा की प्रक्रिया भी नहीं अपनायी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मदरसा के छात्रावास निर्माण संबंधि प्रक्रिया पूर्णकर उक्त छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है।

(ख) मधुबनी जिलान्तर्गत मदरसा दमला बिस्फी में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 1480 अनु०, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 द्वारा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल दरभंगा को समर्पित किया जा चुका है।

(3) उक्त कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के उपरांत प्राप्त होने के पश्चात निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कराकर कार्य कराया जायेगा।

आवासीय व्यवस्था देना

ग्राम्य–19. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघरा अनुमंडल में कार्यपालक अभियंता सहित अन्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति एवं कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति वर्ष 2011–12 में ही कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल में कार्यपालक अभियंता को कार्यालय तथा आवासीय सुविधा नहीं रहने के कारण कार्यपालक अभियंता सहित सभी कर्मियों को बेगूसराय या अन्यत्र रहने के कारण कार्य बाधित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तेघरा अनुमंडल मुख्यालय में कार्यपालक अभियंता कार्यालय तथा आवासीय व्यवस्था कर सभी कर्मियों को रहना सुनिश्चित करवाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा का सृजन वर्ष 2012–13 में किया गया है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा अनुमंडल में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा किराये के मकान में चलाया जा रहा है। सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा सुचारू रूप से कार्य सम्पादित किया जा रहा है एवं कोई कार्य बाधित नहीं है। सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर कार्यालय भवन एवं आवास का निर्माण कराया जा सकेगा।

सड़क का निर्माण

प्रश्न–21. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नाबार्ड द्वारा सम्पोषित योजना के अन्तर्गत बेगूसराय जिले के एन०एच० 31 से लाखो साहपुर मेरवार पथ पूर्णतः जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि यह कालीकृत पथ जो आंशिक रूप से विशेष रूप में ग्रामीण पथांश क्षतिग्रस्त है। पथों के अनुरक्षण के लिये सरकार द्वारा पथों की अनुरक्षण नीति तैयार की जा रही है। जिसके तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

राशि खर्च करना

प्रश्न–137. श्री अरूण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 2006–2007 में शुरूआत की गयी मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का प्रत्येक वर्ष मरम्मत कराये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत वर्ष 2010 तक निर्मित 1835 सड़कों के विरुद्ध मात्र 349 सड़कों के मरम्मत के लिए ही कार्य प्रमंडलों द्वारा पैसे की माँग की गयी है जिसके कारण खजाने में पड़ा 11 करोड़ 1 लाख 16 हजार 640 रुपये लैप्स होने के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (2) में वर्णित राशि को अबतक खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) इस शीर्ष के योजनाओं के रख–रखाव के लिए कार्य प्रमंडलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर राशि आवंटित किया जाता है।

(3) गैर योजना मद से निकासी कर BRRDA (बिहार ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकार) में रखा जाता है एवं उसी से राशि को कार्य प्रमंडलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर आवंटित किया जाता है। इस प्रकार राशि लैप्स करने का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार द्वारा अनुरक्षण नीति तैयार किया जा रहा है।

सड़क का पक्कीकरण

प्रश्न–269. श्री आनन्दी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के कुर्सा कॉटा प्रखंड के मल्ल चौक से शरणपुर होते हुए अररिया प्रखंड

के तारामाडी टोल तक एवं कुर्सा कांटा प्रखंड के सिकिटिया पंचायत के संस्कृत विद्यालय सिरसा, भगडेला, पुलवड़ा ग्राम होते हुए महादलित सरदारटोला तक जाने वाले सड़क कच्चा एवं जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के पक्कीकरण का निर्णय लिया जा चुका है और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। जिसका सर्वे होकर डी०पी०आर० बन चुका है। तद्नुसार इसके पक्कीकरण का कार्य कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

प्रश्न-310. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सधोली पंचायत में बालू घाट पर कोसी धार पर पुल नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के सधोली पंचायत में बालू घाट पर कोसी धार पर 50मी० x 8मी० पुल की आवश्यकता होगी। बालू घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग में 1 पुल है जिससे एकल सम्पर्कता उपलब्ध है। अभी इस पुल का निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क का पक्कीकरण

प्रश्न-458. श्री अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत महिषी प्रखंड के कोसी बाँध, कुन्दी से लगाई तक सड़क कच्ची रहने के कारण खासकर बरसात के समय में आमलोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के कुन्दी तक लगाई पथ कच्ची है, जिसकी लम्बाई 2.5 किलोमीटर है। इस पथ में पुल–पुलिया की भी आवश्यकता है। यह महिषी प्रखंड के कोर नेटवर्क के क्रम संख्या–11 पर अंकित है। क्रमानुसार पथ का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

कार्रवाई नहीं करने का औचित्य

सामु-37. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री लक्ष्मण यादव, पिता श्री बिंदी यादव, ग्राम खिरटी, पो० गरखोरी, जिला–मधुबनी का चयन इन्दिरा आवास के लिए हुआ था, जिनका सूची क्रमांक 306, पहचान सं० 12467 एवं अंक 08 था,

(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत सचिव एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी ने श्री यादव को मृत घोषित कर उसके नाम की इन्दिरा आवास की राशि फर्जी लाभार्थी श्रीमती सजनी देवी, पति स्व० लक्ष्मी यादव को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के माध्यम से उसके खाता सं० 1382 में भुगतान कर दिया,

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना की जाँच एवं दोषी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु नेता विरोधी दल, बिहार विधान–सभा के पत्रांक 727 का०/1, दि० 5 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा गया है,

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभीतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 306 पहचान संख्या 12467 पर श्री लक्ष्मण यादव पिता बुधु यादव, ग्राम छिटही, पंचायत जिरोमा का नाम अंकित है। परिवादकर्ता श्री लक्ष्मण यादव के पिता स्व० बिन्दी यादव के नाम से वर्ष 2010 में इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी थी। बिन्दी यादव पिता कोकई यादव का नाम बी०पी०एल० प्रतीक्षा सूची 2002 (यथा संशोधित 2007) के क्रमांक 680 पारिवारिक क्रमांक 12851 पर अंकित है। परिवादकर्ता लक्ष्मण यादव श्री बिन्दी यादव के इकलौते पुत्र है।

(2) अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि श्री लक्ष्मण यादव पिता स्व० बुधन यादव (बुधु यादव) की मृत्यु वर्ष 2010 में हुई है। लक्ष्मण यादव की विधवा सजनी यादव के नाम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौकही द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापांक 108, दि० 25 जनवरी, 2011 के द्वारा प्रथम किश्त स्वरूप मो० 30,000रू० चेक के द्वारा एडभाईस के माध्यम से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, लौकही में भुगतान किया गया। कालांतर में उन्हें द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान मो० 15000 रु० का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौकही द्वारा दिनांक 4 मई, 2012 को किया गया है तथा आवास पूर्ण है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक 142892, दि० 19 मार्च, 2013 द्वारा जिला पदा० मधुबनी को जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

(4) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री लक्ष्मण यादव पिता बिंदी यादव द्वारा दिये गये परिवाद पत्र की जाँच अनुमंडल पदा०, फुलपरास से कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मु० सजनी देवी पति स्व० लक्ष्मण यादव को नियमानुसार इंदिरा आवास दिया गया।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–496. श्री अमन कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड के अधीन बाबुपुर पंचायत अन्तर्गत मरगम घाट पर पुल निर्माण नहीं होने के कारण मथुरा दियरा, बाबुपुर एवं बाखरपुर वासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उक्त ग्रामवासियों का आवागमन अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मरगम घाट पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत निर्मित है। उक्त पथ में मरगम घाट पर लगभग 50 मीटर लंबाई की पुल की निर्माण की आवश्यकता है। जिसकी अनुमानित लागत 3.00 करोड़ रुपये होगी। इस पुल की Techno Feasibility Report प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

पथों का निर्माण कराना

ग्राम्य–553. श्री अशोक कुमार यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत एन०एच० 105 ननौरा से मोहम्मदपुर पथ एवं फुलकाही से कमलपुर पथ जीर्ण–शीर्ण होने के कारण आमलोगों को आवागमन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि एन०एच० 105 ननौरा से महम्मदपुर पथ की लम्बाई 4.00 कि०मी० है। इसके निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। फुलकाही से कमलपुर पथ राज्य कोर नेटवर्क में सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक 27 में सम्मिलित है। क्रमानुसार निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–554. **श्री अशोक कुमार यादव**—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत हाजीपुर छतवन पथ की स्वीकृति नाबार्ड योजना के अधीन वर्ष 2006–07 में की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ को 2007 में कार्य का पूरा करना था, परन्तु कार्य अभी पूर्ण रूप से ठप है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हाजीपुर छतवन पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण संबंधित एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया और पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर ली गई, परन्तु इसी बीच संवेदक द्वारा आरबिट्रेसन ट्रिब्यूनल में केस कर देने के कारण अग्रेतर कार्रवाई रोक दी गई है। आरबिट्रेसन ट्रिब्यूनल के निर्णय के पश्चात् निर्माण कार्य संभव हो सकेगा।

कार्य पूर्ण कराना

पंच–13. **श्री अम्बिका सिंह**—क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड में बिछिया गाँव एवं रामगढ़ प्रखंड के बढ़ौरा गाँव में वित्तीय वर्ष 2009–10 बी०आर०जी०एफ० से सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत था, आजतक सामुदायिक भवन का अधूरा निर्माण हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव में सामुदायिक भवन बनाने का कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। उप–विकास आयुक्त, कैमूर द्वारा सूचित किया गया है कि बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत रामगढ़ प्रखंड के ग्राम बढ़ौरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लिंटल स्तर तक कराया गया है जबकि दुर्गावती प्रखंड के ग्राम बिछिया में सामुदायिक भवन का निर्माण प्लींथ के ऊपर लगभग 3 फीट तक पिलर एवं ईंट जोड़ाई का कार्य कराया गया है। पंचायतों द्वारा उपरोक्त दोनों सामुदायिक भवनों का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

रजवाहा की खुदाई

लघु–40. **श्री अम्बिका सिंह**—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा मेन नहर से भेरिया धनेछा गाँव होते हुए खगिदौरा तक सिंचाई के लिए रजवाहा की खुदाई नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रजवाहा की खुदाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कर्मनाशा मुख्य नहर के 13.0 कि०मी० से निसृत रूईया माईनर जिसकी लंबाई लगभग 5 कि०मी० है जो भेरिया गाँव के दक्षिण से होते हुए रूईया गाँव तथा खगदौरा तक जाती है इस नहर के पुनर्स्थापन का कार्य कराया जा रहा है तथा जून, 2013 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। कर्मनाशा मुख्य नहर के 13.8 कि०मी० से निसृत मनोहरपुर रजवाहा जिसकी लम्बाई लगभग 4 कि०मी० है इस के पुनर्स्थापन हेतु सर्वेक्षण के उपरांत योजना प्रतिवेदन तैयार कर राशि के उपलब्धता के अनुसार कार्य कराने का विचार है।

वीयर का निर्माण

लघु–105. श्री अभिराम शर्मा—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिले के नसरतपुर गाँव के समीप दरधा नदी में कच्चा बाँध की मरम्मती वर्ष 2009 में की गयी थी, जो वर्तमान में काफी जर्जर है, जिससे किसानों को सिंचाई में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नसरतपुर वीयर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन कच्चा बाँध की मरम्मती विभाग द्वारा नहीं करायी गई है। नसरतपुर ग्राम के पास दरधा नदी पर वीयर निर्माण कार्य के लिए सर्वेक्षणोपरान्त योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसकी तकनीकी संभाव्यता की जाँच की जा रही है। जाँचोपरान्त कार्यान्वयन की दिशा में निर्णय लिया जा सकेगा।

सिंचाई की व्यवस्था करना

लघु–125. श्री अनिल कुमार—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर अनुमंडल के प्रखंड नौबतपुर के नवही पंचायत अंतर्गत जफरा भगवानपुर नवही महमदपुर, तिसखोरा तक पुरानी नदी को भरकर सिंचाई को अवरूद्ध कर दिया गया है, जिससे हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई नहीं होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जफरा भगवानपुर से तिसखोरा तक भरे हुए नदी की सफाई कर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—प्रश्नाधीन पुरानी नदी पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के उदयपुर ग्राम होकर बहती है। इस नदी का लगभग 110 मीटर भाग ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित कर संकीर्ण कर दिया गया है जिससे जलप्रवाह अवरूद्ध होता है। इस नदी के जलप्रवाह को कारगर बनाने हेतु सर्वेक्षण कर कार्य योजना तैयार करने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी को दिया जा रहा है।

वीयर–सह–स्लूईस गेट का निर्माण

त्र–34. श्री अरूण शंकर प्रसाद—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में कमला नदी नेपाल के शीशा पानी से निकलकर जयनगर में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। इस नदी में 1 लाख 40 हजार क्यूसेक पानी का बहाव होता रहा है, जबकि विगत् 20 वर्षों में जलस्राव 87 हजार क्यूसेक से अधिक नहीं हो सका है, जबकि जिला का बड़ा भू–भाग सिंचाई हेतु इस पर निर्भर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नदी में अत्यधिक सिलटेशन के कारण जलस्राव कम हो जाने से पश्चिमी कमला मुख्य नहर में 800 क्यूसेक के बदले मात्र 300 क्यूसेक पानी ही सिंचाई के लिए मिल पा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहर के अंतिम छोर तक नहीं मिल पा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि नदी में निर्मित स्लूईस गेट–सह–वीयर काफी पुराना होने के कारण वर्तमान सिंचाई क्षमता के अनुरूप नहीं रह गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नदी को डिसिलटेशन कराकर वीयर–सह–स्लूईस गेट का आधुनिकीकरण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) यह सही है कि कमला नदी में सिल्ट भर जाने के कारण पूर्व की अपेक्षा जलस्राव कम होता है।

(2) यह सही है कि नदी में सिल्ट भर जाने के कारण आवश्यकता अनुसार नदी में पानी का Ponding

नहीं हो पाता है जिसके कारण मात्र 350 क्यूसेक पानी पश्चिमी मुख्य नहर में दिया जाता है।

(3) यह सही है कि निर्मित स्लूईस गेट–सह–वीयर पुराना है उसके बावजूद भी गेट संचालन में है।

(4) जल संसाधन विभाग नदी की धारा में डिसिल्टेशन का कार्य नहीं कराया जाता है। जहाँतक वीयर–सह–स्लूईस गेट का आधुनिकीकरण की माँग है, इस पर सर्वेक्षण कराकर तकनीकी सम्भाव्यता के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जायेगी।

कटाव को रोकना

न–58. डॉ० अच्युतानन्द—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार प्रखंड में गंगा नदी के कटाव के कारण महनार बाजार में हसनपुर तक दर्जनों गाँवों की 50 हजार से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गंगा नदी के कटाव के कारण प्राचीन मणिनाथ मंदिर सहित हाजीपुर बछवाड़ा राजकीय उच्च पथ पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंगा नदी के कटाव को रोकने हेतु कारगर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वर्तमान में आबादी प्रभावित नहीं है।

(2) प्राचीन मणिनाथ मंदिर के पास पूर्व में कराये गये कटाव निरोधक कार्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। हाजीपुर बछवारा राजकीय उच्च पथ पर वर्तमान में खतरा नहीं है।

(3) गंगा नदी के कटाव को रोकने हेतु प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में एक समिति का गठन किया जाता है। समिति द्वारा क्षेत्र परिभ्रमण के पश्चात् उनके अनुशंसा के उपरान्त ही कार्य का स्वरूप निर्धारण किया जाता है। जिसे टी०ए०सी० एवं एस०आर०सी० के अनुशंसा के उपरान्त कटाव निरोधक कार्य कराया जाता है।

निर्माण कार्य पूरा कराना

न–59. डॉ० अच्युतानन्द—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार प्रखंड अंतर्गत बेलवारी चौर से जल निकासी हेतु बेलवारी सैदाबाद लिंक नहर योजना का शिलान्यास 23 अप्रील, 2012 को किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपया सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व आवंटित किया जा चुका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण अबतक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है और आवंटित राशि खर्च की जा सकी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्य आरम्भ नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नहर का निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2011–12 में इस योजना के लिए रुपये 1956.94 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गयी। वर्ष 2012–13 में रुपये 270.50 लाख का आवंटन दिया गया। एकरारनामा के पश्चात् कार्यारम्भ कर दिया गया है।

(3) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रारम्भ में स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्रयास कर बाधा दूर करते हुए कार्यारम्भ करा दिया गया है।

(4) कार्य प्रारम्भ हो गया है एवं इसे मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

उप–वितरणी की सफाई

त्र–80. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड से होकर सोन उच्चस्तरीय नहर गुजरती है, नहर के आर०डी० बिन्दु 133 से जाखीम कोणा उप–वितरणी की खुदाई नहीं होने से हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रफीगंज प्रखंड में आर०डी० बिन्दु 133 से जाखीम कोणा तक उप–वितरणी के सफाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—सोन उच्चस्तरीय नहर के आर०डी० 133 से जाखिम लघु नहर है जिसकी कुल लंबाई 1.25 कि०मी० है। वर्ष 2012–13 में इसके अंतिम छोर तक पानी पहुँचाकर खरीफ 12 में 425 हे० तथा रबी 2012–13 में 200 हे० भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। नहर के तल सफाई एवं बाँध मरम्मती की आवश्यकता है। इसके लिये सर्वेक्षणोपरान्त योजना प्रतिवेदन तैयार कर निधि के उपलब्धता के अनुसार कार्य करने का विचार है।

उप–वितरणी की सफाई

त्र–81. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड से होकर सोन उच्चस्तरीय नहर प्रखंड से होकर सोन उच्चस्तरीय नहर गुजरती है, नहर के आर०डी० बिन्दु 139 से मटेनियाँ उप–वितरणी तक उप–वितरणी की सफाई नहीं हुई है, जिससे किसानों के पटवन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रफीगंज प्रखंड में आर०डी० बिन्दु 139 से मटेनियाँ उप–वितरणी तक उप–वितरणी के सफाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—सोन उच्चस्तरीय नहर के बिन्दु० 133.0 (40.55 कि०मी०) से निःसृत फदरपुरा जलवाहा (WC) की लम्बाई 1.09 कि०मी० है। इसके अंतिम छोर से मटेनियाँ जलवाहा निःसृत है। जिसकी कुल लम्बाई 2.74 कि०मी० है। इस जलवाहा के 1.09 कि०मी० से 1.40 कि०मी० तक का निर्माण भू–अर्जन नहीं होने के कारण अधूरा है। इस कारण वर्तमान में 1.09 कि०मी० तक नहर में पानी पहुँचा कर सिंचाई की जा रही है। नहर का अवशेष भाग भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पूरा करने का कार्यक्रम है।

उप–वितरणी की सफाई

त्र–82. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड के चौर पंचायत में सोन नदी के आर०डी० बिन्दु 133 से फदपुरा मटेनियाँ उप–वितरणी का सफाई कार्य नहीं हुआ है, जिससे किसानों के पटवन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रफीगंज प्रखंड के चौर पंचायत में सोन नदी के आर०डी० बिन्दु 133 से फदरपुरा मटेनियाँ उप–वितरणी का सफाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—सोन उच्चस्तरीय नहर के बिन्दु० 133.0 (40.55 कि०मी०) से निःसृत फदरपुरा जलवाहा (WC) की लम्बाई 1.09 कि०मी० है। इसके अंतिम छोर से मटेनियाँ जलवाहा निःसृत है जिसकी कुल लम्बाई 2.74 कि०मी० है। इस जलवाहा के 1.09 कि०मी० से 1.40 कि०मी० तक का निर्माण भू–अर्जन नहीं होने के कारण अधूरा है। इस कारण वर्तमान में 1.09 कि०मी० तक नहर में पानी पहुँचा कर सिंचाई की जा रही है। नहर का अवशेष भाग भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पूरा करने का कार्यक्रम है।

पैनेल का निर्माण

त्र–100. श्री अरुण कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 के बाढ़ में सहरसा–मानसी रेलखंड पर धमहारा के पास कोशी के भीषण कटाव से सहरसा–मानसी रेलखंड में खतरा उत्पन्न हो गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि डी०आर०एम०, समस्तीपुर के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 186/गो० दिनांक 14 अगस्त, 2012 तथा जल संसाधन विभाग के पत्रांक 2275, दिनांक 27 अगस्त,2012 द्वारा सहरसा–मानसी रेलखंड के बचाव हेतु कटाव निरोधक समिति से अनुरोध किया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि समिति द्वारा रेलखंड के बचाव हेतु एक पायलट चैनेल का निर्माण करने का सुझाव दिया गया था तथा उक्त कार्य के लिए प्राक्कलन भी विभाग को वर्ष 2012 के सितम्बर माह में समर्पित किया गया था ;

(4) क्या बात सही है कि विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत करते हुए एजेण्डा सं० 118/148 में समिति द्वारा पायलट चैनेल निर्माण का अनुशंसा सितम्बर 2012 में ही किया गया था ;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पायलट चैनेल का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) (2) (3) (4) एवं (5) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2012 बाढ़ अवधि में सहरसा मानसी रेल खंड पर धमहारा कोपरिया के बीच (फनगोहॉल्ट के निकट) रेलखंड पर पानी का दबाव बढ़ गया था जिससे रेलखंड पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जल संसाधन विभाग के द्वारा तुरंत जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को स्थल पर जाकर रेलवे प्रशासन को आवश्यक सहयोग देने एवं कार्रवाई हेतु भेजा गया। साथ ही पानी के दबाव को कम करने तथा रेलखंड की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन को आवश्यक सामग्रियों यथा जी०बी० बैग, नेट्स जी०ओ० बैग, परकोपाइन तुरंत उपलब्ध कराते हुए तकनीकी पदाधिकारियों के माध्यम से बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराने में रेलवे प्रशासन को सहयोग प्रदान कर स्थल को सुरक्षित रखा गया। बाढ़ अवधि समाप्ति के पश्चात् कटाव निरोधक योजना के तहत रेलखंड पर दबाव कम करने के उद्देश्य से एक पायलट चैनेल को क्रियाशील करने संबंधी योजना तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखी गया तथा तकनीकी सलाहकार समिति के अनुशंसा के आलोक में इसे योजना समीक्षा समिति के समक्ष रखा गया। इस बीच रेलवे ट्रैक को बचाने हेतु रेलवे के द्वारा निविदा आमंत्रित कर दिये जाने के कारण इस योजना पर जल संसाधन विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।

कार्रवाई करना

त्र–194. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अधवारा समूह में बाँध का निर्माण ब्रह्मपुत्रा कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त कंपनी द्वारा नियमानुकूल कार्य नहीं किये जाने तथा अवैध रूप से मिट्टी काट लिये जाने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त निर्माण कंपनी द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि:—

- अधवारा नदी के बायें एवं दायें तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं अन्य संबंध कार्य की योजना का कार्यान्वयन मे० ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० द्वारा कराया जा रहा है।
- कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कराया जा रहा है जिसका स्थल निरीक्षण विशेष जाँच दल द्वारा किया गया है। जाँच दल के प्रतिवेदन में कार्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में प्रयुक्त की गई मिट्टी निर्धारित मापदंडों के अनरूप

तटबंध के नदी भाग एवं कन्ट्रीसाईड से ली गई है। स्थानीय मुखिया/सरपंच/किसान से मिट्टी काटने की सहमति की सहमति भी प्राप्त की गई है।

- तटबंध के नदी भाग से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से अपने निजी कार्य के लिये मिट्टी काटी गई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी को सूचना दी गई है एवं प्रशासनिक स्तर पर अवैध रूप से मिट्टी काटने को रोकने की कार्रवाई की गई है।

भवन का निर्माण कराना

स्वा–6. श्री अख्तरुल इसलाम शाहीन—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड समस्तीपुर के ग्राम विक्रमपुर बांदे में नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य भवन निर्माण हेतु खाता 596, खेसरा नं० 622, रकबा 0.26 डी० भूमि उपलब्ध को बावजूद भी भवन निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण व अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 15000 वर्गफीट (34 डिसमिल) जमीन की आवश्यकता होती है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उप–केन्द्र विक्रमपुर बांदे पर मरीजों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराया जाता है।

(3) उपर्युक्त खंडो के उत्तर के क्रम में यदि पर्याप्त भूमि सुलभ हो जाती है तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करायी जा सकती है।

सड़क पक्कीकरण कराना

ग्राम्य–334. श्री बृज किशोर सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड स्थित दामोदरपुर उर्फ गुरवपुर से रमपुरवा मनोहर (छपरा) होते अड़वलिया चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क अबतक कच्ची है, जिसपर वाहनों सहित सामान्य आवागमन में भी काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मोतीपुर प्रखंड के राज्य कोर नेटवर्क के सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक सं० 27 पर शामिल है। क्रमानुसार निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

कार्रवाई करना

ग्रामु–102. श्रीमती भागीरथी देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के गौनहा प्रखंड अन्तर्गत इंदिरा आवास के आवंटन में हुई अनियमितता की जाँचोपरांत कार्रवाई हेतु गौनहा प्रखंड के प्रमुख, उप–प्रमुख सहित सैकड़ो ग्रामीणों द्वारा शपथ–पत्र के साथ दिनांक 25 जून, 2012 को जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के समक्ष आवेदन समर्पित किया है।

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने भी इस तथ्यों की जाँच कराकर समुचित कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा दिसम्बर, 2012 में जिला पदा० प० चम्पारण भेजी है।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी गहन जाँच कर दोषी व्यक्तियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक। उप-प्रमुख, प्रखंड गौनाहा एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा की गयी शिकायतों की जाँच अनुमंडल पदा०, नरकटियागंज के द्वारा की गयी है। अनुमंडल पदा० के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रखंड विकास पदा०, गौनाहा के विरुद्ध इंदिरा आवास में अनियमितता बरतने की पुष्टी नहीं होती है। स्वयं उप-प्रमुख, गौनाहा ने उप-विकास आयुक्त, प० चम्पारण को संबोधित पत्र दि० 19 नवम्बर, 2012 में भी पूर्व में अपने द्वारा लगाये गये आरोप को सही नहीं माना है।

(2) अस्वीकारात्मक।

(3) अस्वीकारात्मक। पूर्ण वस्तुस्थिति कंडिका (1) पर स्पष्ट कर दी गयी है।

पी०सी०सी० कराना

प्रश्न-69. श्री चितरंजन कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अंतर्गत करपी प्रखंड के रामपुरचाय पंचायत के पाँचू बिगहा ग्राम जिसकी आबादी 800 है, जो सड़क विकास के मामले में उपेक्षित है, जिससे इस पंचायत के लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पाँचू बिगहा नहर से देवकुल हसपुरा मुख्य सड़क तक पी०सी०सी० कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ राज्य कोर नेटवर्क में प्रस्तावित है। सरकार पथों की मरम्मती के प्रति गंभीर है। विभाग द्वारा पथ अनुरक्षण नीति तैयार किया जा रहा है उसके तहत क्रमानुसार इस संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी।

कटाव से बचाव

अ-22. श्री चितरंजन कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अन्तर्गत सोहसा, अरवल, पुरा कोढ़ी एवं मदन सिंह का टोला आदि गाँव सोन नदी के कटाव के कारण गाँव का अस्तित्व खतरे में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सोन नदी के कटाव से उक्त गाँवों को बचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ अवधि में अरवल जिला अन्तर्गत सोहसा, अरवल, पुरा कोढ़ी एवं मदन सिंह का टोला आदि गाँवों के नदी तट का कुछ क्षरण होता है। बाढ़ अवधि में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने का कार्यक्रम है।

पुल बनाना

पथ-38. श्री छेदी पासवान—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत प्रखंड मोहनिया के ग्राम कोररिया से पक्की सड़क ग्राम छोटका कुल्हरिया, केथिया, बघुपर होते हुए एन०एच० 30 मार्ग में ग्राम करेया कला के पास मिल जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम केथिया के पास कुदरा नदी पर पुल नहीं रहने के कारण आवागमन में आमलोगों के साथ-ही-साथ पुलिस प्रशासन को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैथिया के पास उक्त नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) तकनीकी साध्यता प्रतिवेदन (**Techno Feasibility Report**) की माँग की जा रही है, प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य जा सकेगा।

सिंचाई व्यवस्था देना

उ-87. डॉ० दाऊद अली—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव प्रखंड के भोजपुर रजवाहा एवं डुमराँव रजवाहा से लगभग 2.50 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन विगत 20 वर्षों से रजवाहा में रेत भर जाने से मात्र 1.00 लाख एकड़ में सिंचाई हो पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में मात्र 1.00 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहने के बावजूद 2.50 लाख एकड़ भूमि मालिकों से पटवन शुल्क वसूल किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष 1.50 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि मालिकों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं सिंचाई व्यवस्था होने के बाद शुल्क की वसूली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। सोन नहर प्रणाली के बक्सर जिला अंतर्गत डुमराँव रजवाहा एवं भोजपुर रजवाहा का सम्मिलित कृषि योग्य क्षेत्र (CCA) 37008 एकड़ है। प्रश्नान्तर्गत रजवाहों में प्रत्येक वर्ष सिंचाई दी जा रही है तथा विगत वर्ष 2012 खरीफ में 32063 एकड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 26663 एकड़ में सिंचाई हुई है।

(2) अस्वीकारात्मक। प्रश्नान्तर्गत भोजपुर रजवाहा तथा डुमराँव रजवाहा का सम्मिलित सी०सी०ए० 37008 एकड़ ही है जिसमें अधिकतम 26663 एकड़ भूमि में सिंचाई के विरुद्ध इसी के वसूली का Demand कृषकों से किया जाता है।

(3) अस्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन भोजपुर रजवाहा तथा डुमराँव रजवाहा के द्वारा प्रत्येक वर्ष सिंचाई दी जा रही है तथा की गई सिंचाई के विरुद्ध ही वसूली का Demand कृषकों से किया जाता है।

कार्रवाई करना

उ-129. डॉ० दाऊद अली—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक, बक्सर, शाखा का चेक सं० सी०बी०आई०/एस०/टी० 004555 अंक 4,33,668 रु० दिनांक 27 जून, 2010 एवं चेक सं० सी०बी०आई०/एस०/टी० 00292 अंक 10,166/रु० दिनांक 13 अप्रील, 2011 को क्रमशः सेल्फ और टू द हेड पोस्ट मास्टर बक्सर के नाम चेक काट कर राशि का भुगतान हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पोस्ट मास्टर बक्सर ने मनरेगा के तहत् जॉब कार्डधारियों के बक्सर पोस्ट ऑफिस में खुले खातों की माँगी गयी जानकारी के जवाब में स्पष्ट किया है कि कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल बक्सर के अधीन चल रहे कार्यों से संबंधित कोई खाता नहीं खुला है।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनरेगा के नाम पर अनियमितता करने वाले कर्मी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। मनरेगा के अधीन जॉब कार्डधारियों का खाता किसी विशेष विभाग के लिए नहीं खोला जाता है, बल्कि सरकारी नियमों के तहत इनका पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जाता है। ये जॉब कार्डधारी किसी भी विभाग के द्वारा कराये जा रहे मनरेगा के कार्यों को सम्पादित करते हैं और उनके खाता सं० के द्वारा उनको भुगतान किया जाता है। कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल बक्सर द्वारा भी जिन जॉब कार्डधारकों से कार्य कराया गया उनको खाता के माध्यम से भुगतान किया गया है।

(3) मनरेगा अन्तर्गत मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पोस्ट ऑफिस में उनके खातों के माध्यम से की गई है। खाते की जाँच जिला प्रशासन, बक्सर के द्वारा की जा सकती है।

नहर का पक्कीकरण

त्र–113. श्री दिनेश कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत करैसा लाइन, शिवपुर, लाइन, सिहियाँ, लाइन एवं हाट–पोखर रजवाहा वितरणी नहर का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। सोन नहर प्रणाली एक वृहत् सिंचाई योजना है जिसकी नहर प्रणाली भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, अरवल एवं पटना में फैली हुई है। योजना अंतर्गत वर्तमान में नहर प्रणाली के पक्कीकरण की योजना नहीं है। परन्तु पूर्वी सोन नहर प्रणाली एवं आरा मुख्य नहर एवं इससे निसृत वितरण प्रणाली जिसके अंतर्गत् प्रश्नाधीन नहरें भी शामिल हैं के पुनर्स्थापन हेतु 170.40 करोड़ रु० की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनर्स्थापन का कार्य मई, 2014 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

पुल का निर्माण

त्र–120. श्रीमती देवंती यादव—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के जे०बी०सी० नहर के 65 आर०डी० से 74 आर०डी० के बीच एक भी पुल नहीं है, जिससे आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नहर के 68 आर०डी० पर पुल निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अररिया जिलान्तर्गत जे०बी०सी० के बिन्दु० 65.40 पर फूट ब्रीज कम–फॉल एवं बिन्दु० 74.40 पर एक पथीय सेतु पूर्व से निर्मित है। दोनों बिन्दुओं के बीच 70.73 पर ग्रामीण सड़क पार करती है। तत्काल पुल निर्माण का विचार नहीं है, क्योंकि उसके आस–पास बिन्दु० 74.40 पर पूर्व से पुल निर्मित है।

कार्रवाई करना

ग्राम्य–521. श्री गजानन्द शाही—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा के नामदार गंज से रमजानपुर सड़क 9 कि०मी० का निविदा वर्ष 2003 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण 50 प्रतिशत कर ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण का रकम का उठाव कर छोड़ दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने वाले

ठेकेदार पर कौन–सा कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ का निर्माण केन्द्रीय एजेन्सी एन०बी०सी०सी० द्वारा कराया जा रहा था, जिसकी लंबाई 9.7 कि०मी० है। सर्वप्रथम इस पथ की निविदा वर्ष 2006 में की गयी थी ।

(2) संवेदक द्वारा कार्य बंद कर देने के कारण उन्हें विखंडित कर अवशेष कार्यों के लिए जनवरी, 2012 में पुनर्निविदा कर कार्य आवंटित किया गया। वर्तमान में 1.5 कि०मी० लंबाई छोड़कर पूरे पथ में स्टोन मेटल ग्रेड III स्तर तक कार्य के उपरांत 4.00 कि०मी० लंबाई में प्रीमिक्सीग कार्य पूर्ण हो चुका है। 300 मीटर लंबाई में पी०सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य किया गया है।

(3) अप्रैल, 2013 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पुलिया का निर्माण

ग्राम्य–531. श्री गोपालजी ठाकुर—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखंड के सझुआर मुख्य सड़क पर निर्मित पुलिया विगत एक वर्ष पूर्व ध्वस्त हो गया है। जिससे आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, कराने नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि यह पथ बेनीपुर प्रखंड के राज्य कोर नेटवर्क के सी०यू०सी०पी०एल० के प्राथमिकता सूची के क्रमांक 1 में सम्मिलित है। इस पथ के उन्नयन के साथ ही इस पुलिया का पुनर्निर्माण कराया जा सकेगा।

पी०सी०सी० कराना

ग्राम्य–15. श्री ज्ञानचंद मांझी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम बंजारी चौक से सिरपाल बसंत श्री राम प्रवेश सिंह, पंचायत समिति सदस्य के घर होते हुए सिरपाल बसंत बाजार तक का पथ एवं ग्राम बंजारी चौक से जलाल बसंत अनुसूचित जाति टोला होते राजदेव सिंह के घर होते सिरपाल बसंत बाजार तक का पथ अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का पी०सी०सी० कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम बंजारी चौक से सिरपाल बसंत श्री राम सेवक सिंह, पंचायत समिति सदस्य के घर होते हुए सिरपाल बसंत बाजार तक पथ एवं ग्राम बंजारी चौक से जलाल बसंत अनुसूचित जाति टोला होते हुए श्री राजदेव सिंह के घर होते हुए सिरपाल बसन्त बाजार तक पथ की कुल लम्बाई 1.00 कि०मी० है। उक्त पथाश राज्य कोर–नेटवर्क के मढ़ौरा प्रखंड के CNCPL के क्रम सं० 5 एवं 6 पर प्रस्तावित है। क्रमानुसार पथ का निर्माण कराया जायेगा।

पी०सी०सी० करना

ग्राम्य–16. श्री ज्ञानचंद मांझी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम औढ़ागाल के पक्की सड़क से मस्जिद होते उक्त ग्राम के अंतिम छोड़ तक एवं ग्राम रैढिया दक्षिण टोला के मुख्य पक्की सड़क से उक्त ग्राम के

अंतिम छोर तक का पथ अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का पी०सी०सी० कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) मढ़ौरा प्रखंड के उक्त ग्राम के पक्की सड़क से गरिबन टोले होते हुए उक्त ग्राम के अंतिम छोर तक पथ की कुल लंबाई 1.00 किलो० है एवं ग्राम सेढ़वा दक्षिण टोला के मुख्य पक्की सड़क से उक्त ग्राम के अंतिम छोर तक पथ की कुल लम्बाई 1.00 किलो० है। उक्त पथांश राज्य कोर-नेटवर्क में प्रस्तावित है। जिसमें पी०सी०सी० कराने पर 140.00 लाख अनुमानित लागत आयेगी। क्रमानुसार पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

पी०सी०सी० कराना

प्रश्न–17. श्री ज्ञानचंद मॉझी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड में मढ़ौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप एन०एच० 102 के ग्राम सेंकी नाली टोला को पक्की सड़क तक का पथ 3 किलो० तक अत्यन्त ही जर्जर स्थिति में है, जिससे आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का पी०सी०सी० कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(क) स्वीकारात्मक है।

(ख) इस पथ को राज्य कोर-नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। क्रमानुसार पथ का निर्माण कराया जा सकेगा।

बाँध बनाना

त्र–196. श्री ज्ञानचंद मॉझी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम सेंकी से सेंकी होते हुए ग्राम कंचानी तक एवं ग्राम सिताबगंज, कठही पुल से लगभग 1000 फीट पश्चिम मोहान पर लगभग 250 फीट नदी के कटाव से पक्की सड़क नदी में विलिन हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर बाँध बनाकर पक्कीकरण निर्मित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम सेंकी से सेंकी होते हुए ग्राम कंचानी तक मढ़क नदी के बाँया तट पर निर्मित सड़क विगत वर्षों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप आवागमन अवरुद्ध है जिसके पुनर्स्थापन के लिए मनरेगा से 11.00 लाख रुपये की योजना कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल छपरा के पत्रांक 437 दिनांक 17 मार्च, 2013 द्वारा उप–विकास आयुक्त, सारण को समर्पित किया गया है। ग्राम सिताबगंज के पास मढ़की नदी का दायाँ तट पर निर्मित पक्की सड़क का नदी तरफ ढाल में विगत वर्षों में लगभग 300 मीटर की लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुआ है। यह सड़क जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहीं है। नदी तट का क्षरण रोकने हेतु तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर योजना बनाने एवं निधि उपलब्ध रहने पर क्रियान्वयन पर विचार किया जायेगा।

कार्रवाई करना

प्रश्न–48. श्री हरिनारायण सिंह— क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल 1 द्वारा मुख्य मंत्री सड़क योजनान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड के बेलाड़ी गोविन्दपुर मडोपुर एवं बेरा मोड़ से हरिपुर पथ की स्वीकृति वर्ष 2007–08 में दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों पथों का कार्य प्रारम्भ भी [illegible] किया गया, परन्तु अधिकांश कार्य समाप्त नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उक्त पथों के शेष कार्यों को पूरा कराने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) कार्य प्रगति पर है, प्रीमिक्सिंग कार्य चल रहा है। 31 मार्च, 13 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

पथ का निर्माण

प्रश्न–146. श्री हरिनारायण सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत ग्रामीण कार्य प्रमंडल के नगरनौसा प्रखंड अन्तर्गत एन०एच० 30ए के लक्षुबिगहा ग्राम से रामघाट (महमदपुर) लोदीपुर ग्रामीण कार्य पथ के लक्षुबिगहा मोड़ तक लगभग 01 कि०मी० सड़क का निर्माण अवशेष बचा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अवशेष पथ नहीं होने के कारण दो से तीन ग्राम पंचायत नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय से नहीं जुड़ा हुआ है, एवं नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय को लक्षुबिगहा रेलवे हाल्ट–स्टेशन से जोड़ने वाली सड़क है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवशेष 01 कि०मी० पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) उक्त पथ CNCPI के क्रमांक 7 पर प्रस्तावित है। निधि की उपलब्धता के आधार पर क्रमानुसार पथ निर्माण कराया जा सकेगा।

खुदाई करना

प्र–148. श्री हरिनारायण सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा अंचल के लोहण्डा रोड से ग्राम–दाहा बिगहा एवं नगरनौसा अंचल के ग्राम–भोभी, एकंगर, लक्ष्मी बिगहा होते हुए जो डांर नदी है, उसकी खुदाई बख्तियारपुर जल संसाधन विभाग कार्य एजेंसी के द्वारा वर्ष 2009–2010 में कराई गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हिलसा अंचल अन्तर्गत ग्राम–दाहा बिगहा के खन्धा में लगभग 1300 फीट एवं नगरनौसा अंचल के ग्राम–लक्ष्मी बिगहा में लगभग 1000 फीट खुदाई नहीं होने के कारण पानी का बहाव बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, जिससे लगभग 4000 एकड़ भूमि में जल निकासी एवं सिंचाई कार्य सुचारू ढंग से नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हिलसा अंचल के ग्राम–दाहा बिगहा एवं नगरनौसा अंचल के ग्राम–लक्ष्मी बिगहा में शेष बचे भाग का खुदाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि डिलवा अंचल के ग्राम–दाहा बिगहा के समीप में 1360 फीट एवं नगरनौसा अंचल के ग्राम–लक्ष्मी बिगहा में लगभग 1000 फीट में भारी जलजमाव के कारण खुदाई एवं जमींदारी बाँध का कार्य नहीं हो पाया।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में वर्णित ।

नहर का जीर्णोद्धार

क्र–108. श्री ज्योति देवी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत प्रखंड बाराचट्टी में 1967 में मोरवाल से मुलरकरी नहर का निर्माण कराया गया था, जिससे 108 गाँवों की भूमि की पटवन होती थी, जो पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और नहर में पानी आना बन्द हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा आज भी किसानों से कर वसूला जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुलरकरी नहर का सम्पूर्ण जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। मुलरकरी सिंचाई योजना के अंतर्गत गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड में मुलरकरी नहर का निर्माण वर्ष 1975 में कराया गया था। चूँकि यह योजना मुलरकरी नदी पर अवस्थित है जो एक बरसाती नदी है। नहर में गाद भरे होने के कारण वर्ष 2012 में खरीफ सिंचाई अवधि में 525 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 50 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा सकी है। नहर के गाद सफाई की आवश्यकता है इसके लिये योजना प्रतिवेदन तैयार कर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य कराने का विचार है।

(2) जितने भूमि का पटवन किया गया है, उतने ही भू–क्षेत्र का पटवन कर किसानों से लिया जा रहा है।

(3) नहर के गाद सफाई हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य कराने का विचार है।

योजना की स्वीकृति

क्र–109. श्रीमती ज्योति देवी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत बाराचट्टी प्रखंड में मुहाने नदी पर बरूडी वीयर सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 माह फरवरी में तत्कालीन अभियंता प्रमुख, जल संसाधन सहित अनेक तकनीकी पदाधिकारियों ने योजना का प्राक्कलन बनाने के क्रम में प्रस्तावित बरूडी वीयर सिंचाई योजना का निरीक्षण किया है ;

(3) क्या यह सही है कि बरूडी वीयर सिंचाई योजना की स्वीकृति की दिशा में कोई भी विशेष कार्य नहीं हो रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र बाराचट्टी के बरूडी वीयर सिंचाई योजना की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड में मुहाने नदी पर बारण्डी ग्राम के पास वीयर सिंचाई योजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षणोपरान्त प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन तैयार कर इसकी तकनीकी संभाव्यता की जाँच की जा रही है।

(2) स्वीकारात्मक । वर्ष 2007 में योजना के निर्माण हेतु जल उपलब्धता के संबंध में जाँच के लिए तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था।

(3) स्थल निरीक्षण एवं योजना निर्माण हेतु विभिन्न स्थलीय आँकड़े एकत्रित कर प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है एवं इसकी तकनीकी आर्थिक संभाव्यता की जाँच प्रक्रियाधीन है।

(4) योजना की तकनीकी आर्थिक रूप से संभाव्य पाये जाने पर इसके कार्यान्वयन का विचार है।

सड़क का निर्माण कराना

ग्राम्य–298. श्रीमती ज्योति देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय से ग्राम बीरिया होते हुए ग्राम–सिंदुआर तक सड़क नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क के अभाव में बीरिया, सिंदुआर, जमुहार, बगधरूआ, लालडीह, परसली, कृष्णचक एवं मोतिचक गाँवों की जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड मुख्यालय बाराचट्टी से सिंदुआर तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) एवं (2) स्वीकारात्मक है।

(3) प्रश्न में उठाये गये पथ L037 एवं S010 लिंक रूट में प्रस्तावित है। L037 (L027 से उदयखाप) का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है। आवश्यक स्वीकृति मिलने के उपरांत क्रमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

सड़क बनाना

ग्राम्य–299. श्रीमती ज्योति देवी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड मोहनपुर का इटवा बाजार घनी आबादी वाला बाजार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इटवा बाजार के दक्षिण से बोधगया मोहनपुर पक्की सड़क है और बाजार के पश्चिमी छोर से उत्तरी छोर तक लगभग 2 कि०मी० सड़क नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इटवा बाजार में सड़क बनाने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग का काफी पुराना पथ है जो वर्तमान में ध्वस्त है। इस पथ का 1.00 कि०मी० भाग विवादित है। इस पथ की मरम्मती वर्ष 2006–07 में कराई गयी थी। पथ की विवादित भूमि (बाजार भाग) का मामला माननीय न्यायालय में दायर वाद संख्या CWJC NO.——/10 युगल किशोर प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के कारण लंबित है।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में अंकित बाजार भाग को छोड़कर यह पथ PMGSY link Route no L050 में प्रस्तावित है। यह पथ L039 बोधगया, बाराचट्टी सड़क से प्रारंभ होकर कंचनपुर तक जाती है एवं इटवा तथा कंचनपुर दो बसावटों को जोड़ती है। पथ का सर्वेक्षण कार्य हो चुका है जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई की जा सकेगी।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य–522. श्रीमती ज्योति रश्मि—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के अंतर्गत मुख्य आरा नहर किनारे डिहरी से अकोढ़ीगोला तक सड़क नहर

कटाव से कटोरिया है जिससे आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन नहर सेवापथ रोहतास जिलान्तर्गत सोन नहर प्रणाली के पश्चिमी मुख्य नहर से संबंधित है। सिहरी से अकोढ़ीगोला तक इस नहर सेवापथ की लंबाई 7.10 कि०मी० है। बलुआही मिट्टी होने के कारण इस पर जगह-जगह रेनकट्स हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है। इस प्रकार के सड़कों का निर्माण/जीर्णोद्धार आदि कार्य ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प सं० 5385, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपा गया है। विभाग द्वारा भी उक्त सेवापथ के जीर्णोद्धार कार्य हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को अनुरोध किया गया है।

कार्य पूरा कराना

क्र–107. श्री जावेद इकबाल अंसारी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008 में 01 (एक) करोड़ 06 (छः) लाख की राशि से बाँका जिलान्तर्गत बाराहाट प्रखंड के विक्रमपुर से पंजवारा पुल तक चीर नदी पर जमींदारी बाँध का पुनर्स्थापन का कार्य प्रारंभ वर्ष 2008 से किया गया है, जो अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाँध के अधूरे कार्य रहने के कारण कनमनिया, पंजवारा, कुमरकोल, चिलचक, रामदेवचिलता , कुसमापुर, नवटोलिया आदि गाँवों में बरसात में नदी का पानी घुसने का खतरा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। नदी में अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आने पर ही गाँव में नदी का पानी घुसता है।

(3) बाँका जिलान्तर्गत बाराहाट स्थित चीर-भुलनियाँ नदी के बाँये किनारे पर 2.75 कि०मी० लम्बा तटबंध का निर्माण वर्ष 2008–09 में 107.00 लाख रु० की लागत से प्रारम्भ हुआ था। परन्तु नदी के दाहिने किनारे पर बसे हुए गाँव के ग्रामीणों के घोर विरोध एवं जन आंदोलन करने के कारण आंशिक कार्य ही (लगभग 60 प्रतिशत) हो सका तथा बाध्य होकर कार्य को बन्द करना पड़ा तथा उसी समय से कार्य बन्द है। दाहिने किनारे पर बसे हुए ग्रामीण जनता की माँग थी कि नदी के दोनों किनारे पर एक ही समय बाँध का निर्माण कराया जाय। दाहिने किनारे पर भी बाँध बनाने का प्रस्ताव जमींदारी बाँध के अन्तर्गत है।

कार्य प्रारम्भ करना

क्र–122. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के कतरीसराय प्रखंड में बहादुरगंज ग्राम के सकरी नदी की तेज धारा के कटाव की वजह से बहादुरगंज ग्राम सहित दर्जनों ग्राम प्रभावित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सकरी नदी के कटाव से बचाव हेतु तटबंध (बोल्डर) पिचिंग के साथ बनाने हेतु डी०पी०आर० वर्ष 2011 में ही था, परन्तु आजतक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सकरी नदी पर तटबंध का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि बरसात के दिनों में सकरी नदी के जलस्तर बढ़ने–घटने से नदी के किनारे की मिट्टी का क्षरण होता है।

(2) (कटौना से केवल बीघा) के जमींदारी बाँध का दायाँ बाँध एवं (राजपुर से सकुची सराय) बायाँ बाँध का 12.60 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें बहादुरगंज गाँव को कटाव से बचाने का प्रावधान किया गया है।

(3) अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को कराने की योजना है।

कार्रवाई करना

त्र–134. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर, प्रखंड के कुशहर बाँध पर मिट्टीकरण कार्य सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा वर्ष 2011 से कराया जा रहा था, परन्तु अभीतक संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं कराया गया है जिससे सिंचाई कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाँध का निर्माण कार्य पूरा कराते हुए दोषी संवेदक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड के कुशहर जमींदारी बाँध का कार्य दिनांक 25 फरवरी, 2010 को एकरारनामा करने के पश्चात् प्रारम्भ किया गया तथा 4.29 कि०मी० की लम्बाई में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 240 मीटर की लम्बाई में स्थानीय लोगों एवं काश्तकारों के विरोध के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है। कुशहर जमींदारी बाँध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से सिर्फ बाढ़ से बचाव होता है। इस कार्य से सिंचाई कार्य नहीं होता है।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–409. श्री कृष्ण कुमार ऋषि—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बड़हरा कोठी प्रखंड में मटिहानी बजरंगबली स्थान से श्याम सुन्दर मंडल के कामत टोला तक कच्ची सड़क होने के कारण आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि बड़हरा कोठी प्रखंड में मटिहानी बजरंगबली स्थान से श्याम सुन्दर मंडल के कामत टोला तक कच्ची सड़क राज्य कोर नेटवर्क में बड़हरा कोठी प्रखंड के सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक एल 039 पर अंकित है। इसकी दूरी 2.3 किलोमीटर है तथा कर्मा टोला से खरवार टोला को जोड़ने वाली सम्पर्क पथ एल 027 पर चिन्हित है। क्रमानुसार इसका निर्माण किया जा सकेगा।

पथ की मरम्मती

ग्राम्य–480. श्री कृष्णनंदन पासवान—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के मोतिहारी कोटवा पी०डब्लू०डी० पथ में गोपाल चौक से माया महेन्द्र पांडेय के मील शंकर सरैया महादलित बस्ती होते हुए तुरकौलिया कोटवा पथ अत्यंत ही जर्जर है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ की मरम्मती का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि सरकार पथों की मरम्मती के प्रति गंभीर है। सरकार द्वारा अनुरक्षण नीति तैयार की जा रही है। प्राथमिकता के आधार पर पथों की मरम्मती करायी जा सकेगी।

पुल की चौड़ीकरण

क्र–115. श्री कृष्णनन्दन पासवान—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के मायघाट नर्सरी के निकट से मुरारपुर जाने वाली पथ में सिंचाई नहर पर छोटा पुल होने से भारी वाहन या अन्य सवारी वाहनों को पार करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल के चौड़ीकरण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जमुनियाँ शाखा नहर के वि०दू० 67.76 पर आर०सी०सी० एक पथीय सेतु निर्मित है, जिससे होकर हरसिद्धि प्रखंड के मायघाट नर्सरी के निकट से मुरारपुर जाने वाली रोड गुजरती है। पुल सही स्थिति में है तथा इसकी चौड़ाई 8 फीट है। छोटा पुल होने के कारण भारी वाहन या अन्य सवारी वाहनों को पार करने में कठिनाई होती है।

पुल का विस्तारीकरण अथवा नये पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनवाया जा सकता है क्योंकि इस पुल से ग्रामीण सड़क गुजरती है। यह स्थापित नियम है कि जिस विभाग की सड़क, पुल से गुजरती है और विस्तारीकरण की आवश्यकता होती है तो वह विभाग विस्तारीकरण का कार्य कराता है।

गाइडवाल का निर्माण

क्र–126. श्री कौशल यादव—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल प्रखंड के ग्राम कुतुबचक के समीप नाटी नदी का बरसात में गाइडवॉल के अभाव में कटाव के कारण काफी फसल बर्बाद हो जाता है।

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार नाटी नदी पर ग्राम–कुतुबचक के समीप गाइडवॉल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ अवधि में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर ग्राम कुतुबचक को नाटा नदी से सुरक्षित रखे जाने का कार्यक्रम है। तत्काल गाइडवॉल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपर्युक्त कंडिका (1) में वर्णित।

गेट की मरम्मती

क्र–188. श्रीमती कविता कुमारी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सिसवन प्रखंड के सरयू नदी का सुरक्षा बाँध तथा उसमें लगे छः स्लूईस गेट अति जर्जर स्थिति में है, जिससे बाढ़ के समय उक्त बाँध के टूटने एवं स्लूईस गेट कमजोर होने के कारण पानी नहीं रूकने से वहाँ की जनता का बाढ़ का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाँध एवं स्लूईस गेट की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि सरयू नदी के बाँये किनारे पर सीवान जिलान्तर्गत सिसवन प्रखंड में 16.00 कि०मी० लम्बे बाँध में कुल छः स्लूईस गेट निर्मित है। सभी स्लूईस में गेट लगा है। 65.00 कि०मी० पर अवस्थित स्लूईस गेट गत बाढ़ अवधि में क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे उसी समय सील करा दिया गया था। शेष सभी स्लूईस गेट चालू एवं सही अवस्था में है।

57.36 कि०मी० से 59.36 कि०मी० के बीच क्षतिग्रस्त तटबंध के पुनर्स्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

आई०टी०आई० केन्द्र खोलना

क–20. श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमंडल में एक भी आई०टी०आई० नहीं रहने के कारण वहाँ के छात्र–छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में आई० टी० आई० केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला में एक औ० प्र० संस्थान, बेगूसराय स्थापित है। जहाँ जिला के सभी योग्य छात्र–छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमंडल में औ० प्र० संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्लुईस गेट बनाना

त्र–132. श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में अवस्थित कॉवर झील है जिसमें वर्षा के अभाव में पानी सूख गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पानी नहीं रहने के कारण वहाँ के मछुआरों की जीविकोपार्जन और किसानों का फसल पटवन में काफी असुविधा हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गंडक नदी में स्लुईस गेट बनाकर कॉवर झील को जोड़ा जा सकता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंडक नदी पर स्लुईस गेट बनाकर वहाँ के मछुआरों तथा किसानों को खुशहाल बनाने का इरादा रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) झील में पानी के अभाव में मछुआरों के जीविकोपार्जन पर असर पड़ता है। किसान लोग अपने फसल का पटवन अन्य स्रोतों से करते हैं।

(3) बूढ़ी गंडक नदी में स्लुईस गेट बनाकर काँवर झील को उससे जोड़ने के संबंध में तकनीकी सम्भाव्यता की जाँच कराने के पश्चात् तकनीकी संभाव्यता पाये जाने पर इस दिशा में कार्रवाई की जायेगी।

(4) उत्तर कंडिका (3) में वर्णित है।

सड़क का जीर्णोद्धार

ग्राम्य–43. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत खरीक प्रखंड के खरीक रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन से ढोढ़िया, बैरिया सही, दादपुर होते हुए एन०एच० 31 अभी तक आर०ई०ओ० पथ विगत् 10 वर्षों से जीर्ण–शीर्ण है।

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जीर्ण–शीर्ण रहने से रोज दुर्घटना हो रही है और किसान अपने खेतों पर नहीं जा रहे हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि ढोढ़िया दादपुर, लोकमानपुर पंचायत का एकमात्र सड़क होने के कारण वहाँ के लोग प्रखंड मुख्यालय से कट गये हैं और विकास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का जीर्णोद्धार कर

किसानों को लाभ देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(4) पथों की अनुरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है। पथों के अनुरक्षण हेतु विभाग द्वारा नीति का निर्धारण किया जा रहा है। उक्त नीति के आलोक में पथ का अनुरक्षण किया जायेगा।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–258. श्री ललन राम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड नबीनगर में टड़वा से पाण्डू एवं टड़वा से गजनाधाम तक की सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि टड़वा से पाण्डू तक सड़क की लम्बाई लगभग 4 किलोमीटर है जिसके निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण करा लिया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के पश्चात सड़क निर्माण हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

टड़वा से गजनाधाम तक सड़क की लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है जिसमें से 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा चुका है। शेष 3 किलोमीटर कच्ची सड़क राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित कर लिया गया है। क्रमानुसार निर्माण किया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–32. श्रीमती मंजु हजारी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत सिंघिया प्रखंड के कमला नदी पर सुग्गा घाट एवं इसी नदी के बारी गाँव के पश्चिम बारी घाट पर पुल नहीं रहने के कारण आम लोगों के साथ ही वाहनों के परिचालन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सुग्गा घाट एवं बारी घाट पर पुल के निर्माण के विचार रखती, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। सुग्गा घाट पर पुल निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 5023, दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 से दिया जा चुका है, जिसका प्राक्कलित राशि 6.0246 करोड़ रु० है। यह निविदा के प्रक्रिया में है।

पथ का निर्माण

पथ–78. श्रीमती मुन्नी देवी—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया चौरास्ता सलेमपुर पथ एवं बिहिया चौरास्ता सलेमपुर पथ के बेलवनिया मोड़ से बरजा–करजा पथ जर्जर है, जिससे आवागमन पूर्णतया बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बिहिया चौरस्ता से रानीसागर पथ Core Network में (पैकेज संख्या BR 07 / 22) प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत प्रस्तावित होने पर बिना विभाग के अनुमति के उसका निर्माण कार्य NPCCL द्वारा कराया गया। पथ निर्माण का कार्य 2009 में ही समाप्त कराया गया है। पथ का रख–रखाव इनके द्वारा ही पाँच साल तक करना है। जिसकी अवधि वर्ष 2014 तक है। पथ का समुचित रख–रखाव नहीं होने के कारण उसकी स्थिति जर्जर हो गई है।

NPCCL के पत्रांक 719117, दिनांक 12 अगस्त, 2011 द्वारा पथ का हस्तान्तरण लेने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2170, दिनांक 11 अगस्त, 2012 द्वारा NPCCL को पथ का हस्तान्तरण सभी अभिलेखों के साथ करने का अनुरोध भी किया गया है, जो अप्राप्त है। बिहिया चौरस्ता से बाजार गाया करजा पथ कार्य वर्ष 2007–08 में IRQP अन्तर्गत कार्य कराया गया है। इस पथ का कार्य जुलाई, 2009 में ही समाप्त हो गया था। जिसकी Defect Liability Period जुलाई, 2012 थी, जो समाप्त हो गई है। यह पथ 2012–13 के कार्य योजना में शामिल नहीं किया जा सका था क्योंकि उसमें निर्देश था कि जिस पथ की Defect Liability Period जून, 2012 तक समाप्त हो गई है, उसी को लेना है। इस पथ को अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 की कार्य योजना में शामिल कर लिया जायेगा।

राशि खर्च नहीं होने का औचित्य

क्र–6. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज, सीवान एवं सारण जिले के अंतर्गत 1.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन तथा 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन करने हेतु 2169.51 करोड़ की लागत वाली वर्ष 2011–12 में ई०आर०एम० योजना के तहत स्वीकृति दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक आवंटित राशि खर्च नहीं होने के कारण 1.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन तथा 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षेत्र में पुनर्स्थापन का कार्य नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि खर्च नहीं होने का औचित्य क्या है ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) एवं (3) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि यह योजना वर्ष 2012–13 से चालू होकर 2016–17 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मंत्रिपरिषद् से इस कार्य के प्रस्तावित की स्वीकृति अक्टूबर, 2012 में प्राप्त हुई है। इसके निविदा आदि कार्य हेतु कार्रवाई की जा रही है।

कटाव से बचाव

क्र–85. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मरघाहा, बुढ़ियाटीकर, केवाला और मनिहारी पर गंगा के कटाव का भयंकर खतरा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन गाँवों को कटाव से रक्षा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मरघाहा, बुढ़ियाटीकर, केवाला गाँव कारीकोशी एवं गंगा नदी के मिलान बिन्दु पर अवस्थित है जिसके कारण बाढ़ अवधि में चारो तरफ से पानी से घिर जाता है। बुढ़ियाटिकर, मरघाहा एवं केवाला गाँव गंगा नदी के तट से 1.00 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है। बाढ़ अवधि में नदी के किनारे का आंशिक क्षरण होता है। बाढ़ अवधि में सतर्कता एवं निगरानी बरतते हुए आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखने का विचार है। मनिहारी शहर के

सुरक्षा हेतु बाढ़ 2013 पूर्व 309.67 लाख रुपये की लागत राशि से बालू भरे जियो बैग से कटाव निरोधक कार्य प्रगति पर है।

कार्रवाई करना

त–93. श्रीमती मनोरमा प्रसाद—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के नौतन एवं बैरिया दोनों प्रखंडों में माईनर एवं जलवाहा जिसकी निविदा वर्ष 2012 के मई–जून में हुई थी, की सफाई कार्य किये बिना ही पैसा का उठाव कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सफाई कार्य किये बिना ही पैसा का उठाव करने वाले पदा०/कर्मी० पर कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। नहरों के सफाई कार्य कराने के पश्चात् मापी करने के बाद एवं गुण नियंत्रण से जाँच कराने के पश्चात् ही भुगतान होता है। नहरों के सफाई के पूर्व नौतन बैरिया प्रखंड में स्थित माईनर एवं जलवाहा में 1755 हेक्टेयर सिंचाई होता था, परन्तु इस सफाई के पश्चात् दोनों प्रखंडों के माईनर एवं जलवाहा में खरीफ अवधि 2012 में 4038 हेक्टेयर पटवन हुआ है।

पथ का निर्माण

अल्प–33. श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ सुनील पाण्डेय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड तरारी के ग्राम नीमाडीह मोड़ से ग्राम पनवारी तक जाने वाली पथ की स्थिति काफी खराब है, जिससे आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, वस्तुतः पनवरी गाँव दोनों तरफ से पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। प्रश्नाधीन पथ को वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुरक्षण मद से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जा सकेगा। राज्य सरकार पथों के अनुरक्षण हेतु गम्भीर है तथा इसके लिए विभाग के स्तर पर एक अनुरक्षण निति तैयार की जा रही है।

सड़क की मरम्मती

263. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड के रतौली चौक से लोदाडीह एवं महारथपुर से लगौली चौक का सड़क जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। रतौली से लोदीडीह राज्य कोर नेटवर्क में सी०यू०पी०एल० के क्रमांक 9 पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है। क्रमानुसार इसका निर्माण कराया जा सकेगा।

महारथपुर से लगौली में लगभग 500 मीटर क्षतिग्रस्त सोलिंग एवं 500 मीटर क्षतिग्रस्त कालीकृत पथ है। यह पथ दो प्रखंडों बेगूसराय एवं बरौनी को जोड़ती है। यह किसी योजना में चयनित नहीं है। पथों के अनुरक्षण के लिये सरकार द्वारा पथों की अनुरक्षण नीति तैयार की जा रही है जिसके तहत इस पथ की मरम्मती किया जा सकेगा।

तटबंध का निर्माण

क्र–187. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के इस्माईलपुर प्रखंड स्थित विक्रमशीला सेतु से इस्माईलपुर तक कोई बाँध नहीं रहने से प्रतिवर्ष गंगा नदी का पानी खेतों में प्रवेश कर जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गंगा का पानी खेतों में प्रवेश करने से इस्माईलपुर प्रखंड के हजारों एकड़ हरी फसलें प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है तथा 50 हजार की आबादी प्रभावित होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विक्रमशीला सेतु से इस्माईलपुर तक तटबंध का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ;

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) विक्रमशीला पुल के डाउनस्ट्रीम में गंगा नदी का रिभाईन कंडिशन काफी अस्थिर एवं परिवर्तनशील है एवं इस भाग में कटाव की समस्या बनी हुई है। इस रीच में विशेषज्ञ से स्थल निरीक्षणोपरान्त तटबंध निर्माण के संबंध में उनसे तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त बाढ़ 2013 के उपरान्त तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का कार्यक्रम है।

पथ का निर्माण

ग्राम्य–555. श्री नरेन्द्र कुमार नीरज—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत इस्माईलपुर प्रखंड के परबत्ता, हरिजन टोला से जोठ गोविन्द से बसगढ़ा ग्राम तक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से पथ का निर्माण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में संवेदक द्वारा सिर्फ मिट्टी की भराई कर, कार्य कराना छोड़ दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ में मिट्टी कार्य पूर्ण है। जी०एस०बी० 1.5 कि०मी० तय किया जा चुका है। कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री पहुँचा पाना संभव नहीं रहने के कारण निर्माण कार्य बाधित था।

(3) चूँकि आवागमन अब सुचारू कर लिया गया है। अतः इस पथ का निर्माण सितम्बर, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

छिलका का निर्माण

क्र–21. श्रीमती नीता चौधरी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड अंतर्गत ग्राम–चम्पापथक में श्री कौशल सिंह के घर के सामने गुहने नदी के बाँध पर आजतक छिलका का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण चम्पापथक, खड़वे, दपरी एवं नवगाँव कृषि योग्य भूमि में सिंचाई नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर छिलका के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम चम्पानगर में मोहाने नदी पर लगभग 10 वर्ष पूर्व टेटिया बम्बर पंचायत द्वारा एक छिलका का निर्माण कराया गया था, जो अब ध्वस्त हो गया है। इस छिलका से चम्पानगर, खड़ावे, ढ़परी एवं नन्दपुर कृषि योग्य भूमि का सिंचाई होता था। इस छिलका से 2000 हे० से कम रकबा में सिंचाई हो सकेगा। अतः यह छिलका जल संसाधन विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

मुख्यधारा में लाना

त्र–141. श्री नीरज कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अंतर्गत प्रतापपुर प्रखंड के लक्ष्मीनिया पंचायत में मैना नदी 2008 में आई बाढ़ से अपना मुख्य धार बदलकर मुस्लिम टोला वार्ड नं० 4 के मध्य से बह रहा है जिससे हजारों एकड़ जमीन मवेशी एवं मकान भी ध्वस्त होते जा रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी को वापस मुख्य धारा में लाने एवं ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मैनाधार (भीमहाधार) पूर्वी कोसी मुख्य नहर के वि०दू० 58.00 के बाद अपनी पुरानीधार को छोड़कर वर्ष 2008 में आई बाढ़ के फलस्वरूप वर्तमान में मुस्लिम टोला वार्ड नं० 4 के मध्य से नहीं बल्कि उसके बगल से गुजर रही है। मैनाधार को मूलधार में वापस लाने के लिए चैनलाइजेशन कार्य का सर्वेक्षण कराकर डी०पी०आर० (विस्तृत योजना प्रतिवेदन) तैयार किया जा रहा है और उसकी तकनीकी सम्भाव्यता पाये जाने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। जहाँतक ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न है यह प्रसंग आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–130. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी प्रखंड के पूर्वी ठाठा पंचायत, पश्चिमी ठाठा होते हुए जिला मुख्यालय खगड़िया के परमानंदपुर तक वर्ष 1974–75 में गंगा नदी के भीषण कटाव से सुरक्षा हेतु 12 किलो मीटर दूरी में एक बाँध का निर्माण कराया गया था, जिसपर सड़क का निर्माण नहीं कराने के कारण बेलदौर प्रखंड, चौथम प्रखंड तथा निरपुर गलफा पंचायत के लोगों को सीधे जिला मुख्यालय खगड़िया पहुँचने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिटायर्ड बाँध पर पक्की सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक बाँध का निर्माण रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैक के निर्माण हेतु बनाया गया था। गंगा एवं गंडक नदी द्वारा जारी भीषण कटाव को देखते हुए यह आशंका हुई थी कि खगड़िया मानसी रेलवे खंड भी कटाव के चपेट में आ जायेगा। उक्त के आलोक में रेलवे ट्रैक का प्रस्तावित बाँध पर स्थानान्तरित करने के लिए बनाया गया था। यह रेलवे की परिसम्पत्ति है। रेलवे द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत पक्की सड़क निर्माण कराने पर विचार किया जा सकेगा।

कार्य आरम्भ कराना

ग्राम्य–311. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में ग्रामीण कार्य प्रमंडल खगड़िया में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना से मानसी प्रखंड अंतर्गत आर०ई०ओ० चुकटी मानसी पथ से धर्मदास (कुर्मीटोला) एन०एच० 31 तक जाने वाला तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य प्राक्कलन राशि 35 लाख रुपये का एकरारनामा 2 जुलाई, 2012 को हुआ है। लेकिन अब तक कार्यारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कार्य आरंभ कराकर पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित संवेदक श्री सुनील कुमार सिंह चौधरी, खगड़िया को समय पर कार्य आरम्भ नहीं करने एवं समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराने के कारण अगली निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है एवं एकरारनामा खंडित करने की कारवाई की जा रही है। पुनर्निविदा कर कार्य आरम्भ कराया जा सकेगा।

जाँच कराना

ग्राम्य–361. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010–11 में ग्रामीण कार्य प्रमंडल, खगड़िया अंतर्गत मानसी प्रखंड में आर०ई०ओ० मानसी पथ से स्व० जगदेव यादव राजापान एवं वासुदेव बाबू के घर होते हुए वाटरवेज तक पी०सी०सी० कार्य को 70 लाख लागत से निर्माण कार्य धनपत जैन फर्म को आवंटित की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के अभाव की आम शिकायत का निरीक्षण निर्माण स्थल पर प्रश्नकर्ता द्वारा किया गया जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 के समाचार–पत्र में दर्शाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का गुणवत्ता की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। (एकरारनामा की राशि रु० 77.10340 लाख है।)

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुतः माननीया सदस्या द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को निरीक्षण के दौरान स्टोनमेटल एवं सिमेन्ट कंक्रीट मिक्स का नमूना निर्माण स्थल से अपने साथ ले जाया गया एवं अपने स्तर से गुणवत्ता की जाँच कराई गई है।

(3) प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है।

कटाव से निदान

त्र–71. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया प्रखंड के काशीमपुर पंचायत में मथवा गाँव बूढ़ी गंडक के बायाँ तटबंध के पास अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव एवं गाँव से सम्बन्धित उपजाऊ जमीन 2007 से बूढ़ी गंडक के कटाव के चपेट में आ जाता है, उससे जान–माल की काफी क्षति होती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्या के मथवा गाँव को कटाव से स्थायी सुरक्षा हेतु पक्का पक्षाल बनाने के लिए प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को अपने पत्रांक 440, दिनांक 13 अक्टूबर, 2012 द्वारा आग्रह किया था, जिस पर विभाग द्वारा केवल बैम्बू डेफ्लेक्टर बनाया जा रहा है, जो कि कटाव से बचाव का स्थायी समाधान नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव को कटाव से स्थायी निदान हेतु पक्का बम्पाल (बोल्डर पेटेड) कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक खगड़िया जिलान्तर्गत काशीमपुर पंचायत के मथवा गाँव बूढ़ी गंडक के बायाँ तटबंध के पास अवस्थित है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। विगत् बाढ़ अवधि 2012 में नदी किनारे आंशिक क्षरण हुआ है।

(3) वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय तकनीकी समिति के आलोक में नदी किनारे की मिट्टी क्षरण को

रोकने हेतु 4.64 लाख रुपये की लागत से बैम्बू डेफ्लेक्टर का कार्य कराया जा रहा है।

(4) यदि कराये जा रहे कार्य कटाव रोकने में कारगर नहीं हुये तो कटाव की स्थिति में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा।

निरीक्षण भवन का निर्माण

क्र–19. श्री पवन कुमार जयसवाल—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के घोड़ासहन प्रखंड मुख्यालय में कोई सरकारी निरीक्षण भवन नहीं है, जिस कारण प्रखंड मुख्यालय होने के कारण उच्चाधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथि का आगमन होता रहा है, परन्तु निरीक्षण भवन के अभाव में ठहरने के साथ–साथ कार्यालय का कार्य निष्पादन में काफी परेशानी होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घोड़ासहन में निरीक्षण भवन निर्माण कराने का विचार रखती है,यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि ढाका प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय में जल संसाधन विभाग का कार्यालय एवं निरीक्षण भवन निर्मित है। इस कार्यालय एवं निरीक्षण भवन की दूरी घोड़ासहन प्रखंड से मात्र 15–18 कि०मी० है फलस्वरूप घोड़ासहन प्रखंड में निरीक्षण भवन का निर्माण विचाराधीन नहीं है।

(2) कंडिका एक में वस्तुस्थिति स्पष्ट किया गया है।

नहर का जीर्णोद्धार

क्र–111. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड में पौरा वीयर के मुख्य नहर के एक नम्बर फॉल से बेल्हा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निकलती है, जो ग्राम बेल्हा तक जाती है, जिससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई निर्भर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी का स्तर मुख्य नहर के स्तर से 3 फीट ऊँचा है जिससे पानी फ्लो काफी कम होती है, साथ ही नहर में मिट्टी भर गई है तथा साईफन टूट गये हैं, जिससे सिंचाई पर प्रतिकूल असर पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेल्हा डिस्ट्रीब्यूटरी का स्तर मुख्य नहर से स्तर के बराबर कराने के साथ–साथ बेल्हा नहर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड में पौरा वीयर के मुख्य नहर के 1 नं० फॉल से निःसृत बेल्हा/बाँधा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर जो बेल्हा तक जाती है इसकी लम्बाई 2.8 कि०मी० है तथा इसकी सिंचाई क्षमता 150 हे० है। वर्तमान में नहर के तल में गाद भरे होने के कारण खरीफ 2012 में 87.00 हे० क्षेत्र में सिंचाई हो सकी है। इस नहर की उड़ाही एवं पुनर्स्थापन हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य कराने का विचार है।

नहर की सफाई

त्र–112. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पौरा मुख्य नहर से डौर–चौरी नहर से ग्राम–डौर मोहिउद्दीनपुर, चकवाय, बाधी, सोनवर्षा, गोसपुर ओमामा तथा चौरी के हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई निर्भर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नहर में काफी मिट्टी भर गयी है, जिससे सिंचाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नहर की सफाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(3) नहर के जीर्णोद्धार हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कर अगले वित्तीय वर्ष में निधि के उपलब्धता के अनुसार कार्य कराने का निर्णय लिया जायेगा।

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना

त्र–124. श्री प्रेम रंजन पटेल—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला अंतर्गत हेमरागंज सूर्यगढ़ा गंगा पंप नहर परियोजना 25 वर्षों पूर्व सूर्यगढ़ा प्रखंड के असिंचित क्षेत्रों के सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था, परियोजना अबतक पूर्ण नहीं हुआ है, जिससे किसानों का सिंचाई कार्य बाधित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंगा पंप नहर परियोजना सूर्यगढ़ा को चालू कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। लखीसराय जिला अंतर्गत सूर्यगढ़ा पंप नहर योजना का निर्माण वर्ष 1979 में प्रारम्भ किया गया था। यह योजना हरोहर नदी पर अवस्थित है। योजना के पूर्ण होने के पश्चात् वर्ष 1990–91 से वर्ष 1994–95 तक इस योजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया था परन्तु इसके बाद पंप के बार्ज स्थल पर पानी का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस योजना से कृषकों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है तथा नहर योजना चालू स्थिति में नहीं रहने के कारण नहर में गाद भर गया है। नहर का पुनर्स्थापन तथा पंप के बार्ज स्थल के डाउन स्ट्रीम में वीयर के निर्माण हेतु सर्वेक्षणोपरान्त योजना प्रतिवेदन तैयार कर निधि की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराने का विचार है।

(2) पंप के बार्ज स्थल के डाउन स्ट्रीम में वीयर के निर्माण हेतु सर्वेक्षणोपरान्त योजना प्रतिवेदन तैयार कर कार्य कराने का विचार है।

संशोधित कराना

त्र–63. श्री राहुल कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत मोदनगंज के मंडई वीयर का निर्माण कार्य 2007 में प्रारंभ हुआ और जून, 2012 तक इसे पूरा करना था, लेकिन अभीतक भू–अर्जन में बाधा के कारण काम पूरा नहीं किया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा विभाग के दो वर्ष पूर्व लिखित रूप से अनुरोध किया गया

है कि भू–अर्जन में बाधा के कारण काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिये दर संशोधित किया जाये। परन्तु विभाग द्वारा अभीतक दर में संशोधन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक के दर को संशोधित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। जहानाबाद जिला अंतर्गत मंझई वीयर योजना का निर्माण 2006 में प्रारम्भ किया गया है। उक्त कार्य को नवम्बर, 2008 में पूरा करना था परन्तु भू–अर्जन प्राप्त नहीं होने के कारण निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं हो सका। भू–अर्जन की प्रक्रिया प्रगति में है तथा कुल आवश्यक 136.4 एकड़ भूमि के विरुद्ध अबतक 66.24 एकड़ का भू–अधिपत्य प्राप्त हो चुका है। शेष भू–अर्जन के विभिन्न धाराओं में प्रगति में है। भू–अर्जन प्राप्त होने पर जून, 2013 तक योजना पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(2) विभाग द्वारा एस०बी०डी० में प्रावधानित मूल्य वृद्धि का प्रावधान इस एकरारनामा के अंतर्गत दिया गया है। तद्नुसार कराये गये कार्यों पर मूल्य वृद्धि का भुगतान संवेदक को किया जा रहा है।

(3) मूल्य वृद्धि का भुगतान संवेदक को किया जा रहा है।

कार्रवाई करना

त्र–64. **श्री राहुल कुमार**—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत घोषी प्रखंड के उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के नतौल ब्रांच, हबीबपुर ब्रांच से डायवर्सन बनाया गया परन्तु ह्यूम पाइप कम व्यास का लगाया गया है जिसके कारण पानी नहर के टेल–एंड (अंतिम छोर) तक नहीं पहुँच पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत घोषी प्रखंड में उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के नतौल शाखा नहर तथा हबीबलीपुर शाखा नहर में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा डायवर्सन बनाया गया है। डायवर्सन में लगे ह्यूम पाइप सिंचाई सुविधा की दृष्टि से पर्याप्त है जिससे नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुँचाकर लक्ष्य के अनुरूप पटवन कराया गया है। खरीफ पटवन के पूर्व पुल निर्माण होने की संभावना है। तदोपरान्त इस डायवर्सन को हटया दिया जायेगा।

मुआवजा देना

त्र–31. **श्री राजेश्वर राज**—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रमंडल के अंतर्गत चिलबिला प्रशाखा में आरा मुख्य नहर के एल०पी० चैनल का तटबंध माह नवम्बर, 20 में टूट जाने से सैकड़ों एकड़ भूमि में लगी फसल जलमग्न होकर नष्ट हो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त तटबंध का निर्माण कराते हुए किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन चैनल के तटबंध को किसानों द्वारा जनवरी, 2013 में काट का पटवन किया गया था एवं पटवन के पश्चात् किसानों द्वारा ही बाँध की मरम्मती कर दी गई। वर्णित एल०पी०सी० चैनेल का डिस्चार्ज मात्र 3 घनसेक है तथा बाँध की ऊँचाई 1 फीट है जिसे काटकर कृषकों द्वारा स्वेच्छा से अधिक मात्रा में जलस्राव प्राप्त किया गया है उक्त नहर एक छोटी नहर है जिससे फसल नष्ट होने की संभावना क्षीण है अतएव मुआवजा का मामला नहीं बनता है।

जीर्णोद्वार कराना

लघु—29. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखण्डान्तर्गत फसलों की सिंचाई हेतु निर्मित सिमा माइनर पनवाहा की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे धोसिया कला, खेलसिया, सिमा आदि गाँवों के किसानों सिंचाई से वंचित रह जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मार्च, 2012 एवं अक्टूबर, 2012 में स्थानीय संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किये जाने के बावजूद आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित पनवाहा का जीर्णोद्वार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) सदर्भित निमाधोसिया लघु नहर सोन नहर प्रणाली अंतर्गत डुमरॉव शाखा नहर से निसृत है। इस नहर की मरम्मती वर्ष 2000—01 में कराई गई थी। विगत वर्षों में नहर संचालन के चलते इसके जीर्णोद्वार की आवश्यकता है।

(2) वर्णित नहर के जीर्णोद्वार हेतु 58.32 लाख रु० के प्राक्कलित राशि के प्रावधान के साथ पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर, पटना मुख्य नहर एवं आरा मुख्य नहर तथा इनके वितरण प्रणाली के पुनर्स्थापन हेतु दिनांक 25 मई, 2012 को कुल 170.46 करोड़ रु० की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है।

(3) उपरोक्त वर्णित स्वीकृति के अधीन नहर के जीर्णोद्वार के कार्यान्वयन हेतु निविदा आदि की कार्रवाई की जा रही है। इसे मई, 2014 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

आवागमन चालू कराना

ग्राम्य—35. श्री राजेश्वर राय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट प्रखंड के जोरवरपुर नहर पुल से मौआरी पुल भाया बारडीह सुकहरा टोला, नाद पथ का निर्माण मुख्य मंत्री, ग्राम सड़क योजना से वर्ष 2010—11 में कराया गया था, जो जर्जर हो चुका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कराकर आवागमन चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। जोरवरपुर नहर पुल से मौआरी पुल भाया बारडीह सुकहरा टोला, नाद पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। फिलहाल उक्त सड़क की मरम्मती की आवश्यकता नहीं है। यदि सड़क के किसी भाग में कोई त्रुटि है तो उसकी मरम्मती पंचवर्षीय रख—रखाव मद से कराई जायेगी।

सड़क बनाना

ग्राम्य—58. श्री राम बालक सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान—सभा में दलसिंहसराय से पतैलिया तक की सड़क पी०एम०जी०एस०वाई० से तीन वर्ष पहले बना था, लेकिन आज सड़क की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बन रहे सड़क में संवेदक को पाँच वर्षों तक अनुरक्षण कार्य करना है। वर्णित पथ में संबंधित संवेदक को इस हेतु निदेशित किया जा रहा है।

सड़क को पक्कीकरण करना

ग्राम्य–88. श्री रत्नेश सादा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रखंड सोनवर्षा के खजुरहा पंचायत के आर०ई०ओ० मेन सड़क से गढ़ बाजार तक की सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, जिस कारण उक्त मार्ग से आनेवाले वाहनों एवं अन्य आवासित ग्रामीणों को यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2012 को पत्र लिखकर स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया परन्तु किसी प्रकार की कार्रवाई आजतक नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खजुरहा पंचायत के आर०ई०ओ० मेन सड़क से गढ़ तक की सड़क को पक्कीकरण कर आवागमन चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) ऐसी कोई जानकारी विभाग को नहीं है।

(3) प्रश्नगत पथ की लम्बाई 1.5 किलो मीटर है। जिसमें सोलिंग किया हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अर्हता रखने वाले पथ में क्रमांक 10 पर प्रस्तावित है। क्रमानुसार पथ का निर्माण किया जायेगा।

कार्रवाई करना

ग्राम्य–490. श्री रत्नेश सादा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के मंगला बाजार से चकला रघुनाथपुर तक की सड़क विगत पाँच वर्षों से काफी जर्जर रहने के कारण आवागमन पूरी तरह ठप है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य ने वर्ष 2012 के जून माह एवं सितम्बर, 2012 में लिखित पत्र लिखकर स्थानीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया था, परन्तु इस दिशा में आजतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जीर्ण–शीर्ण सड़क का जीर्णोद्धार कराने तथा विलम्ब के लिए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) ऐसी कोई सूचना विभाग को नहीं है।

(3) सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के मंगला बाजार से चकला रघुनाथपुर पथ की लम्बाई 3.45 किलो मीटर है, जो कच्ची है प्रश्नाधीन पथ पी०एम०जी०एस०वाई के एल 031 से जुड़ने हेतु प्रस्तावित है। क्रमानुसार पथ का निर्माण कराया जा सकेगा।

सिंचाई सुविधा देना

लघु–123. श्री रत्नेश सादा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत पतरघट प्रखंड के घबौली वितरण नहर में पानी विगत तीन वर्षों से नहीं रहता है, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि त्रिवेणीगंज से आने वाला नहर में मधेपुरा सर्वेला तक ही पानी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उप–वितरणी में घबौली नहर तक पानी

आपूर्ति कर उक्त प्रखंड के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक। वर्ष 2008 की अप्रत्याशित बाढ़ में नहर क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्ष 2009, 2010, एवं 2011 में नहर से सिंचाई हेतु पानी नहीं दिया जा सका।

(2) अस्वीकारात्मक। खरीफ सिंचाई, 2012 के दौरान मवैली उप–वितरणी में सवेला ग्राम (उप–वितरणी का 53.000 आर०डी०) से नीचे नहर में 63.00 आर०डी० तक किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है।

(3) मवैली उप–वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया। खरीफ 2013 में नहर के अंतिम छोर तक पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

आवागमन चालू कराना

ग्राम्य–148. श्री राम प्रवेश राय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के ग्राम–छोटा बढ़ेया से ग्राम–हलुआड़ जाने वाली तथा बरौली बाजार से ग्राम–बघेजी जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की पुरानी सड़कें वर्ष 2000 से ही बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे, आम लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मती कराकर आवागमन चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के ग्राम–छोटा बढ़ेया से ग्राम–हलआड़ जानेवाली पथ तथा बरौली बाजार से ग्राम–बघेजी जानेवाली पथ राज्य कोर– ग्राम–नेटवर्क में प्रस्तावित है। उक्त पथ CUPL के क्रमांक 59 एवं 52 में सम्मिलित है। क्रमानुसार इसका निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–256. श्री रामानन्द राम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के गढ़पुरा नावकोठी एवं बखरी प्रखंडों को जोड़ने वाली भुईधारा पुल विगत 2 वर्षों से ध्वस्त हो गया है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय के गढ़पुरा नावकोठी एवं बखरी प्रखंड को जोड़ने वाली भुईधारा पुल राज्य कोर नेटवर्क में प्रस्तावित है। इस स्थल पर 20 मीटर लम्बा पुल कि आवश्यकता है जिसका अनुमानित लागत 1.2 करोड़ रूपये होगा जो कि राज्य कोर नेटवर्क के प्रपत्र–8 के क्रमांक 6 पर अवस्थित है। क्रमानुसार पुल का निर्माण कराया जा सकेगा।

पथों का पुनर्निर्माण

ग्राम्य–463. श्री रामानन्द राम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के नाव कोठी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय चौक से नावकोठी बाजार तक, नावकोठी के सोनेलाल यादव के घर से शंकर पोद्दार के घर तक, इसका प्राथमिक विद्यालय चौक से पचनदास ठाकुरबाड़ी तक, पूर्वी डफरपुर बाँध से उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्वी डफरपुर से इनैया चौक तक, गौरीपुर से सैदपुर चौक तक, चक्का शर्मा चौक से भगवती स्थान तक, रजाकपुर चौक से पीरनगर चौक तक तथा कुमरिया से अगुआर चौक तक सड़क की स्थिति जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथों का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि नावकोठी मध्य विद्यालय चौक से नावकोठी बाजार तक पथ की लम्बाई 900 मीटर चौड़ाई 3 से 5 मीटर ईंट सोलिंग पथ, नावकोठी के सोनेलाल यादव के घर से शंकर पोद्दार के घर तक ईंट सोलिंग पथ, इसका प्राथमिक विद्यालय चौक से पचलू दास ठाकुरबाड़ी तक पथ की लम्बाई 1.5 कि०मी० ईंट सोलिंग पथ, गौरीपुर से सैदपुर चौक तक पथ की लम्बाई 1.00 कि०मी० कच्ची सड़क है, गौरीपुर से सैदपुर जाने के लिये रज्जाकपुर समसा पक्की पथ पूर्व से बना हुआ है। ववका शर्मा चौक से भगवती स्थान तक पथ की लम्बाई 700 मीटर, ईंट खरंजा पथ पर वाहन आवागमन सुगमतापूर्वक हो रहा है। उपरोक्त सभी पथ में बसावटों को एकल सम्पर्कता उपलब्ध रहने के कारण राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं की गयी है।

पूर्वी डफरपुर बाँध उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्वी डफरपुर इनैया चौक तक पथ की लम्बाई 2.00 कि०मी० राज्य कोर नेटवर्क स्टेट सी०एन०सी०पी०एल० के क्रम० सं० 7 प्रखंड नावकोठी पर अंकित है।

क्रमानुसार इस पथ का निर्माण किया जा सकेगा।

रज्जाकपुर से झुमरिया होते हुए पीरनगर पथ की लम्बाई 5.00 कि०मी० है। रज्जाकपुर से झुमरिया पथ राज्य कोर नेटवर्क सी०एन०सी०पी०एल० (प्रखंड नावकोठी) क्रम० सं० 4 पर अंकित है। पीरनगर से झुमरिया पथ का निविदा आमंत्रित की गई है। पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत पैकेज संख्या BR-04R-135 है। जिसकी लम्बाई 3.55 कि०मी० है एवं लागत 251.40 लाख रुपये है।

झुमरिया से अमुआर तक पथ की लम्बाई 1.5 कि०मी० है। यह ईंट खरंजा पथ है। अमुआर गाँव पूर्व से बारहमासी पक्की सड़क से सम्बद्ध है। झुमरिया ग्राम में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

चैनल का निर्माण

त्र–114. श्री रामानन्द राम—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में बखरी प्रखंड के दानौल चौर में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। जिसकी वजह से किसानों की हजारों एकड़ भूमि बगैर खेती के बेकार हो जाती है, यदि हाँ तो क्या सरकार वाटर मैनेजमेंट के तहत स्लूईश गेट,पक्का बाँध, चैनल का निर्माण कर किसानों को लाभ पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक। बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के दानौल चौर में जल–जमाव रहता है, जो फरवरी माह में सूख जाता है। समय पर जल निकासी नहीं होने के कारण चौर के लगभग 300 एकड़ कृषि योग्य भूमि में रबी की खेती नहीं हो पाती है। विस्तृत सर्वेक्षण कर जल निकासी हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा तकनीकी सम्भाव्यता स्थापित होने पर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

पुलिया का निर्माण

ग्राम्य–543. श्री रामचन्द्र सदा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के गोरियामी पंचायत के लरही गाँव से छिलकौड़ी पंचायत को जोड़ने वाली लरही मछड़ा ग्रामीण कच्ची सड़क है तथा उक्त सड़क में गंगा सागर घाट पर पुलिया नहीं रहने के कारण आवागमन बाधित है। यदि हाँ, तो क्या सरकार खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के गोरियामी पंचायत के लरही गाँव से छिलकौड़ी पंचायत को जोड़ने वाली लरही मछड़ा कच्ची सड़क का पक्कीकरण तथा गंगा सागर घाट पर पुलिया निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के गोरियामी पंचायत के लरही और मछड़ा के बीच एक कच्ची सड़क है, जिसके बीच में एक मृत धार है। इसमें लरही गाँव "चौन शुम्भा" पी०एम०जी०एस०वाई० पथ पर अवस्थित है, जबकि मछड़ा निर्माणाधीन पी०एम०जी० एस०वाई० पथ (छिलकौड़ा से मछड़ा) पर अवस्थित है। इस प्रकार दोनों गाँवों को एकल बारहमासी सम्पर्कता प्राप्त है।

अतः प्रश्नाधीन पथ एवं पुल के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

नहर की खुदाई

लघु–42. श्रीमती रंजु गीता—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखंड स्थित बोखड़ा चौर से सतोर बकोटी, मुसहर होते हुए केरावान एवं सतोर कुम्हरा चौर से कढ़िया तक जल–जमाव रहने के कारण हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चौर से पानी निकासी कर नहर में पानी देने से फसलों को पटवन करने से किसानों की माली-हालत सुदृढ़ हो जाएगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चौर से जल–जमाव की निकासी करने एवं क्षतिग्रस्त नहर की खुदाई कराने हेतु कौन–सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक। बोखरा एवं कुम्हरा चौर का पानी एक नाला द्वारा बकोटी में बोआरी नदी में गिरता है। इस नाला को सतोर बकोटी सड़क पार करती है, जिसमें एक पुल निर्मित है, जिसका सील लेवल ऊँचा होने के कारण इन दोनों चौरों का पानी पुल से पूर्णरूपेण नहीं निकल पाता है। जल–जमाव की समस्या बाढ़ अवधि में रहती है। अधिकांश भाग दिसम्बर में सूख जाने के कारण इस क्षेत्र में रब्बी की फसल होती है।

(2) नाला में उपलब्ध जल से लिफ्ट एरिगेशन द्वारा आस–पास के खेतों में पटवन की जा सकती है। यहाँ कोई नहर अथवा नहर प्रणाली नहीं है।

(3) उक्त पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया गया है। जिसके सील लेवल को नीचे किये बिना जल–जमाव की समस्या दूर नहीं हो सकती है।

नहर का जीर्णोद्धार

लघु–43. डॉ० रंजु गीता—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड स्थित महदेया रेलवे पुल से बहेड़ा–आहिदपुर–डोरपुर–मझौर नहर की स्थिति अत्यन्त जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नहर की स्थिति जर्जर रहने के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रहने के साथ बाढ़ के दिनों में पानी नहीं निकल पाता है जिससे खेती की भूमि की बर्बादी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त नहर का जीर्णोद्धार करने हेतु कौन–सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उक्त स्थल पर किसी प्रकार का नहर प्रणाली नहीं है। महदेया रेलवे पुल से बहेड़ा आहिदपुर–डोरपुर–मझौर के बीच एक नाला है, जो अख्तियार रोड पार करते हुए बन्दौना मन (जाले प्रखंड) में मिलता है। उक्त नाला के जीर्णोद्धार हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। उक्त नाला में मनरेगा द्वारा विगत् वर्षों में कार्य कराया जाता रहा है। अभी उक्त नाले में जलस्राव पाया गया है। रब्बी की सिंचाई पंपिंग सेट द्वारा की जाती है।

(3) सर्वेक्षणोपरान्त योजना साध्य होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

पटवन शुरू कराना

लघु–45. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड बगहा–2 के त्रिवेणी कैनाल से निकलने वाली पईन विगत् चार वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पईन के बंद होने के कारण पोखर, गिन्हा, बोखल, सिकटिया, बिनवलीया मंझरिया आदि गाँव का पटवन नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पईन को चालू कराकर किसानों को पटवन शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि पाईन में सिल्ट जमा रहने के कारण रूपांकित जलस्राव सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रहा है, जिसके कारण आंशिक रूप से सिंचाई हो रहा है ।

(2) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पईन में सिल्ट जमा होने के बावजूद भी पोखर, गिन्हा, बोखल, सिकटिया, बिनवलीया मंझरिया आदि गाँव में पिछले खरीफ में आंशिक पटवन हुआ है।

(3) उपर्युक्त पईन की तल सफाई कराकर आगामी खरीफ सिंचाई में पानी दिया जायेगा।

सड़क का पुनर्निर्माण

ग्राम्य–53. श्री राम नरेश प्रसाद यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत दोस्थिया से लगभी 07 कि०मी० की सड़क आज से सात साल पहले बनी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सड़क परिहार प्रखंड के पाँच पंचायत को भी जिला से जोड़ती है, जो टूट चुका है, जिससे आमलोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) पथों के अनुरक्षण हेतु सरकार गंभीर है। विभाग द्वारा पथों का अनुरक्षण नीति (Road, Maintenance Policy) तैयार किया जा रहा है। पथों को गुणवत्ता के साथ अनुरक्षण करना विभाग की प्राथमिकता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में पथों के अनुरक्षण हेतु तैयार प्राथमिकता सूची के आधार पर निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

कचहरी भवन को पुनर्निर्माण कराना

साग्र–34. श्री राम नरेश प्रसाद यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत सहोरवा गाँव में ग्राम कचहरी भवन है, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कचहरी भवन को पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार सहोरवा गाँव सोनबरसा प्रखंड के ग्राम पंचायत–इन्दरवा में अवस्थित है। उक्त ग्राम कचहरी भवन का निर्माण लगभग चालीस वर्ष पूर्व हुआ है। भवन दो कमरे ईंट/खपरैल को मकान था जो वर्तमान में पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। ग्राम पंचायत इन्दरवा क्लस्टर सं० 32 में सम्मिलित है।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति एवं निर्णय के अनुसार अब राज्य के प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है। पंचायत सरकार भवन के अनुमोदित डिजाईन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, मुखिया, उप–मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य के साथ–साथ सरपंच, उप–सरपंच, पंच और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी का न्यायालय कक्ष तथा अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 1212.37 करोड़ रु० की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कार्यक्रम है। शेष पंचायतों में भी भवन निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में प्रश्नगत ग्राम कचहरी भवन का निर्माण हो सकेगा। तात्कालिक व्यवस्था के तहत विभागीय पत्रांक 2478, दिनांक 19 जुलाई, 2006 एवं पत्रांक 3711, दिनांक 23 जुलाई, 2008 तथा विभागीय पत्रांक 2664, दिनांक 23 जून, 2009 द्वारा निदेश दिया गया है कि जहाँ ग्राम कचहरी का अपना भवन नहीं है, वहाँ या तो पंचायत भवन/सामुदायिक भवन/अन्य सार्वजनिक भवन में ग्राम कचहरी का कार्यालय संचालित किया जाये या फिर 500 रु० (पाँच सौ रु०) प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन लेकर ग्राम कचहरी का कार्यालय खोला जाए।

कटाव से बचाव

त्र–33. श्री राम नरेश प्रसाद यादव—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भगवतीपुर एवं मझौरा गाँव में नेपाल से आने वाली मरहा नदी बहती है तथा इस नदी के तेज प्रवाह से भगवतीपुर एवं मझौरा गाँव में प्रतिवर्ष कटाव होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2011 के बाढ़ में मरहा नदी के कटाव करने से भगवतीपुर में दस (10) परिवार का घर नदी में विलीन हो गया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भगवतीपुर एवं मझौरा ग्राम को नदी के कटाव से बचाव के लिये उपाय करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वर्ष 2010 में पाँच घर विलीन हो गया था जिसका पूर्व से जवाब दिया गया था वर्ष 2011 में भी पाँच घर नदी में विलीन हो गया है।

(3) वर्ष 2010 बाढ़ के पूर्व कटाव निरोधक कार्य के रूप में भगवतीपुर ग्राम की सुरक्षा हेतु पाईलट चैनल का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में उक्त पाईलट चैनल में सिल्ट भर जाने के कारण वह क्रियाशील नहीं है तथा बागमती पुरानी धारा से होकर बह रही है। उक्त स्थल पर विभागीय निदेश प्राप्त होने पर योजना तैयार कर टी०ए०सी० एवं एस०आर०सी० के अनुशंसा पश्चात् कटाव निरोधक कार्य कराया जा सकता है।

नहर की मरम्मती

त्र–38. श्री रामधनी सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में कोथरा से बलथरी नहर की कुल लम्बाई 32 कि०मी० है, नहर के दोनों बैंक क्षतिग्रस्त होने के कारण गोपालपुर निसोपुर, कोहकर, देवखैरा सतसा नारायणपुर, लकड़ी, पकड़ी इत्यादि गाँव की सिंचाई नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नहर की मरम्मती कर उक्त गाँवों को सिंचाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। रोहतास जिला में कोथरा से बलथरी नहर की कुल लंबाई 25.0 कि०मी० है यह सही है कि दोनों बाँध कहीं–कहीं पर क्षतिग्रस्त है। परन्तु क्षतिग्रस्त बाँध की मरम्मती एवं रख–रखाव करते हुए गोपालपुर, विशोपुर, कोहअर, खैरा, सतशा नारायणपुर, पकड़ी इत्यादि गाँव को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

तटबंध का निर्माण

त्र–66. श्री राजकुमार राय—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड स्थित मृत बागमती नदी का दोनों तटबंध पूर्णतः ध्वस्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि धूमपुरा से गौजी तक मृत बागमती नदी के दोनों किनारे गाँव बसा हुआ है। तथा खेतीयुक्त जमीन भी बाढ़ के कारण प्रभावित होता है ;

(3) यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तटबंध का निर्माण कराने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। नदी के दोनों किनारे में कोई तटबंध नहीं है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। नदी के दोनों किनारे गाँव बसा हुआ है। इस नदी में वर्षात के दिनों में बरसाती पानी आता है। अत्यधिक वर्षा होने पर पानी का फैलाव भी होता है। पानी के फैलाव के कारण आंशिक रूप से खेती प्रभावित होती है।

(3) चूँकि इस नदी में वर्षात के दिनों में बरसाती पानी आती है तथा वर्षात समाप्त होने के पश्चात् नदी में पानी का बहाव नहीं रहता है। नदी के किनारे तटबंध बनाने की स्थिति में नदी से सटे गाँव तटबंध के अदर आ जायेंगे तथा वर्षात के दिनों में पानी से अत्यधिक प्रभावित होंगे। अतः नदी के किनारे पर तटबंध का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से फिजिबल नहीं है।

सिंचाई सुविधा देना

त्र–75. श्री रामायण माँझी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के दरौली प्रखंड के ग्राम अमरपुर वितरणी में 2000 से पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों का रबी, भदई का फसल बर्बाद हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सीवान उप–वितरणी में पानी उपलब्ध कर किसानों को सिंचाई सुविधा बहाल करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अमरपुर उप–वितरणी की कुल लम्बाई 14.00 आर०डी० है जो जोगनी वितरणी के 48.00 आर०डी० से निकलती है तथा रूपांकित जलश्राव 45.12 क्यूसेक हैं। गाद भर जाने के कारण नहर रूपांकित सेक्शन में नहीं है जिससे नहर में मात्र 20 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो पाता है तथा नहर के 9.00 आर०डी० तक ही पानी पहुँच पाता है। इस वर्ष भी नहर से 1720 हे० में सिंचाई हो रहा है।

अमरपुर उप–वितरणी एवं अमरपुर लघु नहर का जीर्णोद्धार कार्य पश्चिमी मंडक (सारण नहर प्रणाली) के पुनर्स्थापन कार्य में सम्मिलित है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति रु० 2169.51 करोड़ हेतु प्राप्त हो चुकी है। निविदा आदि प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ होने वाला है। पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त नहरों में रूपांकित जलश्राव अंतिम छोर तक दिया जा सकेगा तथा कुल 2706 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित किया जा सकेगा जिससे किसानों की समस्या दूर हो जायेगी।

तटबंध का नवनिर्माण

त्र–94. श्री रामचन्द्र सहनी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अंतर्गत प्रखंड रामगढ़वा में बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा हेतु अधकापरिया पंचायत से सिहारानी पंचायत के भेड़िहारी तक नदी के किनारे कैसरे हिन्द तटबंध बना

हुआ है उसके आगे त्रिवेणी गुदरा एवं लालपरसा होते हुए सुगौली पुल तक बाँध का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तटबंध का नवनिर्माण कार्य बचे शेष भाग में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड रामगढ़वा में बूढ़ी गंडक (सिकरहना) नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु अधकपरिया पंचायत से सिहारनी पंचायत के मोतिहारी तक 9.93 कि० मी० में कैनाल हिन्द तटबंध बना हुआ है बूढ़ी गंडक/सिकरहना नदी बेसिन में तटबंध निर्माण उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कर डी०पी०आर० तैयार करने के लिये परामर्शी चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जिसमें गुदरा एवं लालपरसा होते हुए सुगौली पुल तक का बाँध भी सम्मिलित है।

शाखा नहर का निर्माण

क्र–102. श्री राम लखन राम "रमण"—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी एवं राजनगर प्रखंडों के भटसीमर, पतुआहा, गोबारी, सिजौल होते हुए चौपता गाँव जानेवाली पश्चिमी कोसी शाखा नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2001 से अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भटसीमर, साइफन से निकलने वाली उक्त शाखा नहर का निर्माण कार्य पूरा कराना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। प्रश्नगत शंकरपुर उप–वितरणी से संबंधित है, जो विदेश्वरस्थान उप–शाखा नहर के कि०मी० 41.725 बायीं से निसृत है। वर्ष 2002–03 में एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ किया गया था। भू–अर्जन की समस्या के कारण कार्य अधूरा है। नये सिरे से कार्य पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्य मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

नहर का निर्माण

क्र–103. श्री राम लखन राम "रमण"—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी एवं राजनगर प्रखंड की मंगद्वार, गैलाम, भटसीमर पंचायत में मलहनामा होते हुए भटसीमर, मंगद्वार गैलाम, सिराई, रुपनपुरा होते हुए आगे जानेवाली पश्चिमी कोसी नहर का कार्य 10 (दस) वर्षों से अधूरा है जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त नहर का निर्माण पूर्ण कराकर सिंचाई उपलब्ध कराना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि कम्बार माईनर मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी एवं राजनगर प्रखंड के मंगद्वार, गैलाम, भटसीमर पंचायतों में मलहनामा होते हुए गुजरती है। पंचाटियों के भुगतान नहीं होने के कारण इस माईनर का निर्माण नहीं हो पाया है। भू–अर्जन के पश्चात् इस कार्य को पूरा कराया जायेगा।

कटावरोधी कार्य करना

क्र–119. श्री रणविजय कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के ईटवा बजिरपुर एवं गोह प्रखंड के अकुरी, गोरकट्टी, नवलपुर एवं उपहारा गाँव पुनपुन नदी के कटाव से प्रभावित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँवों में कटावरोधी कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक। गत वर्षों से इन स्थलों पर नदी से कोई भारी कटाव नहीं हुआ है, परन्तु अधिक वर्षा होने से नदी के जलस्राव अधिक होने के कारण कटाव होता है, परन्तु जानमाल की क्षति नहीं होती है। अत्यधिक कटाव होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर उन ग्रामों को बचाया जायेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–90. श्री सुबोध राय—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में शाहकुंड प्रखंड में मढ़ी गाँव (बिन्धू प०) में खाना नदी पर पुल नहीं रहने के कारण बहुत बड़ी पिछड़ी आबादी एवं आम किसानों को आवागमन में खासकर बरसात के समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पुल का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। यह प्रश्नगत पुल पी०एम०जी०एस०वाई० पथ पर अवस्थित है। लगभग 500 मीटर स्पैन ब्रीज की आवश्यकता होगी। तकनीकी संभाव्यता (Techno Feasibility Report) का अध्ययन कराकर पुल के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

पथ का पक्कीकरण

ग्राम्य–461. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा सदर प्रखंड अन्तर्गत ककरघट्टी स्टेशन से बसैला महादलित टोला तक कच्ची सड़क है एवं इसका पक्कीकरण के लिए डी०पी०आर० भी 8 माह पूर्व बन गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा बनाये गये राज्य कोर नेटवर्क की प्राथमिक सूची में इस सड़क का दूसरा स्थान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त पथ का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है। विभाग द्वारा बनाये गये राज्य कोर नेटवर्क सूची में यह क्रमांक 4 पर है।

(3) क्रमानुसार पथ का निर्माण कराया जा सकेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–31. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड के पहरा पईन में मुख्य द्वार पर सीढ़ पुल नहीं है, जिससे आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—Techno Fesibility Report की माँग की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

सड़क का पक्कीकरण करना

ग्राम्य–401. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड के सुदर्शन बिगहा गाँव तक की कच्ची सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़े जाने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव तक सड़क को मुख्य सड़क में जोड़ते हुए पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बरोरा मुख्य पथ से सुदर्शन बिगहा को जोड़ने

वाली सड़क लिंक पुल L043 में प्रस्तावित है, जिसकी लम्बाई 1.70 कि०मी० है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क के अंतर्गत CNCPL के क्रमांक 491 पर प्रस्तावित है। क्रमानुसार निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–377. श्री संजय सिंह टाईगर—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत उदवन्तनगर प्रखंड का पकड़ियावर गाँव एन०एच०-84 से 1/2 कि०मी० की दूरी पर है, जहाँ आवागमन के लिए कच्ची सड़क है तथा बाढ़ प्रभावित इलाका रहने के कारण उक्त गाँव में बरसात के दिनों में ग्रामीणों को नाव से आवागमन करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव में पक्की सड़क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथ उदवन्तनगर प्रखंड के अन्तर्गत राज्य कोर नेटवर्क के C.N.C.P.L के क्रमांक 16 पर अंकित है, जिसे क्रमानुसार कराया जा सकेगा।

सिंचाई व्यवस्था देना

अल्पसूचित–6. श्री संजय सिंह टाईगर—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सोन नहर प्रणाली अंतर्गत डिहरी, औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, पटना एवं गया के नहरों के सिंचाई क्षेत्रों की भूमि नहर रहते हुए भी पानी के अभाव में सिंचाई से वंचित रह जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिलों में नहरों से समुचित सिंचाई व्यवस्था कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि सोन नहर प्रणाली का कृष्य कमांड क्षेत्र 699200 हे० है जो औरंगाबाद, गया, अरवल, पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एवं भभुआ जिलों में अवस्थित है। योजना का आधुनिकीकरण कार्य 1999–2000 से वर्ष 2008–09 तक व्यय हुआ जिसके अंतर्गत नहरों के मिट्टी कार्य मुख्य रूप से वर्ष 2001–02 में कराये गये एवं शेष अवधि में संरचना एवं अन्य कार्य कराए गए।

वर्तमान में इस योजना से 5,04,011 हे० खरीफ एवं 2,77,869 हे० रब्बी में पटवन कराया गया है। कालांतर में नहर संचालन के कारण नहरों में पुनर्स्थापन की आवश्यकता है जिसके लिए पूरी नहर प्रणाली एवं आरा मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के पुनर्स्थापन हेतु दिनांक 25 मई, 2012 को 170.46 करोड़ रु० की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना को मई, 2014 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

सिंचाई क्षमता बढ़ाना

ज–110. श्री संजय सिंह टाईगर—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश प्रखंड के खोलपुर में सिंचाई हेतु वर्ष 1965 में कम्हरी वीयर का निर्माण किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिक मशीनरी द्वारा वीयर की ऊँचाई 3 फीट बढ़ाने हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 को सोन कैनाल डिवीजन, आरा द्वारा डी०पी०आर० तथा 1073 लाख का प्राक्कलन बनाकर विभाग को सौंपा जा चुका है जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वीयर को सिंचाई क्षमता बढ़ाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कटाव रोकना

क्र–27. श्री संतोष कुमार निराला—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी प्रखंड के ग्राम जयपुर ठोरा नदी से कटाव होने के कारण गाँव का अस्तित्व खतरे में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी के कटाव को रोकने का ठोस उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि ठोरा नदी से बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी प्रखंड के ग्राम जयपुर में तट का आंशिक क्षरण होता है। बाढ़ अवधि में कटाव की स्थिति में स्थल को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित रखने का कार्यक्रम है।

नहर में पानी देना

क्र–105. श्री सतीश चन्द्र दूबे—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखंड का साठी–बेलवा नहर किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी नहर है तथा 20 वर्षों से उक्त नहर में पानी नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों को कृषि कार्य में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नहर में पानी देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वित्तीय वर्ष 2013 में नरकटियागंज प्रखंड के साठी–बेलवा नहर में अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाया गया है। संरचना का काम अधूरा होने के फलस्वरूप रूपांकित जलस्राव नहर में प्रवाहित नहीं किया जा सका। संरचना कार्य पूर्ण करा लिया गया है। खरीफ 2013 में रूपांकित जलस्राव प्रवाहित कराकर नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जायेगा।

कटाव निरोधक कार्य करना

क्र–106. श्री सतीश चन्द्र दूबे—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया प्रखंड के ग्रा०पं०रा० लाकड़ ग्राम सीसई का बलोर नदी से अत्यधिक कटाव हो रही है जिससे जान–माल की काफी क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी पर कटाव निरोधक कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—लौरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लाकड़ में लाकड़ नुनिया टोला ग्राम पर बलोर नदी से कटाव हो रहा था। वहाँ पर 20.79 लाख रुपये की लागत से इस वर्ष बलोर नदी के कटाव से रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है, जिसे 15 मई, 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जीर्णोद्धार करना

क्र–150. श्री सतीश चन्द्र दूबे—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखंड के चानकी गाँव से चमैना होते हुए मलदहिया पोखरिया के तरफ जानेवाले सीधाडी वितरणी जर्जर होने के कारण किसान को सिंचाई में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उप–वितरणी में पानी नहीं जाने से चानकी, पीपरा, चमैना, मलदहिया पोखरिया आदि दर्जनों गाँव के किसान सिंचाई से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चानकी के पास साइफन का निर्माण कराते हुए सीधाडी उप–वितरणी का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि त्रिवेणी शाखा नहर के वि० दू० 198.29 से सीधाबी उप–वितरणी निःसृत है, जिसका पुनर्स्थापन कार्य पूर्वी गंडक नहर पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। मिट्टी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस नहर के वि० दू० 23.20 पर स्थित साइफन क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मती कार्य प्रगति में है।

(2) क्षतिग्रस्त साइफन की मरम्मती पूर्ण हो जाने पर प्रश्नाधीन गाँवों में सिंचाई सुविधा मुहैया हो सकेगी।

(3) खरीफ 2013 प्रारम्भ होने के पूर्व इस उप–वितरणी का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण करा लेने का कार्यक्रम है। तत्पश्चात् इस उप–वितरणी के अन्तिम छोर तक कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

स्लूईस गेट लगाना

क्र–145. श्रीमती सुजाता देवी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अन्तर्गत प्रखंड पिपरा पंचायत अमहा से गुजरने वाली गोबेपुरा उप–शाखा नहर के समीप स्लूईस गेट निर्माण नहीं होने से 500 एकड़ जमीन की सिंचाई नहीं हो पा रही है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार अमहा के समीप स्लूईस गेट लगाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन नहर से सिंचाई हो रही है तथा खरीफ 2012 में गोबेपुरा उप–शाखा नहर में [illegible] हेक्टेयर सिंचाई लक्ष्य के विरुद्ध 10,094 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्धि प्राप्त की गई है। स्लूईस गेट निर्माण हेतु उल्लेखित पिपरा प्रखंड के अमहा पंचायत गोबेपुरा उप–शाखा नहर के आर०डी० 117 से 127 आर०डी० के बीच पड़ता है तथा यह सुनिश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है एवं अमहा पंचायत में सिंचाई होती है ।

(2) आर०डी० 129.00 पर पूर्व से फॉल निर्मित है। इसलिए ऊपरी भाग में सिंचाई की असुविधा की संभावना नहीं है। अतः आर०डी० 117 से 127 के बीच अमहा पंचायत में स्लूईस गेट का निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

कार्य पूर्ण करना

क्र–200. श्री सतीश कुमार—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के सहदेई प्रखंडान्तर्गत जहाँगीरपुर ग्राम पंचायत स्थित गंगा नदी के बायें चैनल में वर्ष 2010 में कटाव निरोधक कार्य कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बायें चैनल में पूर्वी छोड़ पर पानी के दबाव के कारण बोल्डर पीचिंग 100 फीट में धंस गया है, जिस कारण जहाँगीरपुर ग्राम सहित परोहां ग्राम पर कटाव का खतरा काफी बढ़ गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त स्थल की मरम्मती एवं बाढ़ निरोधक कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2010 में जहाँगीरपुर जाफराबाद सुकमारपुर ग्राम में 2300 मीटर की लम्बाई में बोल्डर रिभेटमेंट कार्य कराया गया था ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि जहाँगीरपुर ग्राम में कराया गया बोल्डर रिभेटमेंट कार्य के निम्न प्रवाह में 6 मीटर की चौड़ाई में बोल्डर से निर्मित एप्रन क्षतिग्रस्त हुआ है। स्थल पर विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई का विचार है।

वर्ष 2010 में कराये गये रिभेटमेंट कार्य के अंतिम छोर (पूर्वी) पर परोहाँ ग्राम के किनारे नदी तट का क्षरण हुआ है।

वर्तमान में ग्राम पर कोई खतरा नहीं है। आबादी नदी तट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है।

(3) बाढ़ अवधि वर्ष 2013 में कटाव की स्थिति में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य–439. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड के गड़हनी मदुरा पथ, गड़हनी लगुआनी पथ एवं अगिआंव नरौनी खोपिरा पथ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति है यह है कि गड़हनी मदुरा पथ की लम्बाई लगभग 16 कि०मी० है, जिसमें से 9 कि०मी० गड़हनी प्रखंड के राज्य कोर नेटवर्क के C.U.P.L के क्रमांक 01 पर तथा 7 कि०मी० शेड जगदीशपुर प्रखंड के अन्तर्गत राज्य कोर नेटवर्क के C.U.P.L. के क्रमांक 01 पर अंकित है, गड़हनी लगुआनी पथ में दुगौली गाँव लगुआनी गाँव तक के पथ को राज्य कोर नेटवर्क के गड़हनी प्रखंड के क्रमांक 29 पर अंकित है। क्रमानुसार पथों का निर्माण किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा पथों के अनुरक्षण हेतु एक नीति तैयार की जा रही है, जिसके आलोक में अगिआंव नरौनी खोपिरा पथ पर विचार किया जा सकेगा।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–54. श्री श्यामदेव पासवान—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के गया फतेहपुर भाया वजीरगंज स्टेट हाइवे पथ के महरथानाधाम, कनकनीया मोड़ से बरवैला, मुखदुमपुर मेदोरा, अदरकीय पथ 15 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित सड़क के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सरकार पथों की मरम्मती के प्रति गंभीर है। विभाग द्वारा पथ अनुरक्षण नीति तैयार किया जा रहा है। उसके तहत् इस पथ की मरम्मती की जायेगी।

पटवन कराना

ज–67. श्री श्याम बिहारी प्रसाद—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत छौड़ादानो थाना के पास तियर नदी में बना डैम तीस वर्ष पूर्व में ध्वस्त हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस डैम से छौड़ादानो प्रखंड, बनकटवा प्रखंड और चिरैया प्रखंड के कई सौ हेक्टेयर जमीन का पटवन होता था, जो अब घोड़ासहन नहर कैनाल से आधे से अधिक जमीन का पटवन नहीं हो पा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 2010 में मंत्री के निदेश पर इस डैम की जाँच कराया गया था और जाँच में पाया गया कि इस डैम्प का निर्माण हो जाने से घोड़ासहन नहर कैनाल से पटवन से बचे हुए हजारों हेक्टेयर जमीन का पटवन होने के साथ–साथ बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है ;

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में डैम (वीयर) से मधुबनी कैनाल प्रणाली के माध्यम से छौड़ादानो एवं बनकटवा प्रखंड के क्षेत्र में पटवन होता था। वर्तमान में घोड़ासहन शाखा नहर प्रणाली के निर्माण के पश्चात् छौड़ादानो, बनकटवा और चिरैया प्रखंड के कमांड क्षेत्र में घोड़ासहन शाखा नहर एवं इससे नि:सृत नहर प्रणालियों से ही पटवन किया जा रहा है। घोड़ासहन शाखा नहर एवं इससे नि:सृत नहर प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य पूर्वी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य (रु० 684.78 करोड़) के अन्तर्गत कराया जा रहा है इस कार्य को मार्च, 2013 तक पूर्ण कर नहर में पूर्ण क्षमता के अनुरूप जलस्राव सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2010 में विभागीय आश्वासन के आलोक में दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को अधीक्षण अभियन्ता, गंडक रूपांकण एवं गुण नियंत्रण अंचल, मोतिहारी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। उनके प्रतिवेदनानुसार उक्त संरचना (वीयर) बहुत दिनों से टूटा हुआ है। वर्तमान में उक्त वीयर का कमान्ड क्षेत्र घोड़ासहन शाखा नहर के कमान्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसका पुनर्स्थापन कार्य किया जा रहा है। पुनर्स्थापन कार्य के पूरा हो जाने से उक्त क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो जायेगी।

प्रतिवेदन में यह भी अंकित एक ही कमान्ड क्षेत्र के लिये उक्त संरचना (वीयर) का पुनर्निर्माण तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से यथोचित नहीं है। अतएव ध्वस्त संरचना (वीयर) के पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है। पुनः माननीय मंत्री के निदेश के आलोक में । (पाण्डुलिपि अनुपलब्ध है)

पथ का निर्माण

ग्राम्य–369. श्री तार किशोर प्रसाद—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत हसनगंज प्रखंड के बलुआ पंचायत में सोसागाँव से आवागमन हेतु मुख्य मंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण सड़क योजना अंतर्गत एक पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन सम्पर्क पथ के अभाव में आवागमन बंद है जिससे इस गाँव के ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव से आवागमन हेतु सम्पर्क पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत हसनगंज प्रखंड के बलुआ पंचायत में सोसागाँव से सम्पर्कता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रमांक 3 सम्पर्क पथ की व्यवस्था की गई है। जिसकी सम्पर्क पथ सं० एल 038 है। इसकी निविदा निकाली जा चुकी है। यह पथ सोसागाँव भाया हरिपुर होते हुए कालसर जायेगी, जहाँ से पी०डब्लू०डी० रोड होते हुए ढ़ढखोरा तक आवागमन शुरू हो जायेगा।

पुल का निर्माण

सामु–114. श्री तौसीफ आलम—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड के पंचायत झींगाकाटा अंतर्गत झींगाकाटा हाट से पूरब प्रधानमंत्री सड़क के बीच धार से पुल ध्वस्त रहने के कारण आवागमन बाधित है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त धार में पुल का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल की लम्बाई 60 मीटर है एवं अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये है। यह पुल बहादुरगंज राज्य कोर–नेटवर्क के पुलों की सूची में पृष्ठ 28 क्रमांक 1 में दर्ज है। इस पुल के निर्माण हेतु आई०एल०एफ०एस० द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। डी०पी०आर० तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में कचहरी से सिपाकला चौक तक जानेवाली 2 किलो मीटर है जो पी०डब्लू०डी० सड़क की मापदण्डों को पूरा करता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कचहरी से सिपाकला चौक तक जानेवाली 2 किलो मीटर सड़क को पथ निर्माण विभाग में अनुशंसा करते हुए स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) कचहरी टोल से सिपाकला, चौक तक जाने वाली सड़क 2.00 कि०मी० का निर्माण पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत् पथ निर्माणाधीन है।

(3) वर्तमान में सड़क निर्माण जारी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा इस पथ के अधिग्रहण हेतु पत्र प्राप्ति के उपरांत इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–4. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत माली–बरियावाँ रोड में बटाने नदी पर मदई के पास पुल 2011 में ध्वस्त हो गया है, जिससे आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। Techno Feasibility report प्राप्त करने के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जायेगी।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य–5. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर टंडवा पथ की हालत अत्यन्त ही जर्जर है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सरकार पथों की मरम्मती के प्रति गंभीर है। विभाग द्वारा पथ अनुरक्षण नीति तैयार किया जा रहा है। उसके तहत इस पथ की मरम्मती की जायेगी।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य–518. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत राजपुर से सिन्दुरिया सड़क कच्ची होने से आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत राजपुर से सिन्दुरिया सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित है, जिसका नवीनगर प्रखंड में लिंक रूट नं० L–022 है। इस पथ की लम्बाई 3.15 कि०मी० है। एन०आर०ई०पी० से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

जलवाहा का खनन्

त्र–29. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नॉर्थ कोयल नहर का रमडीहा, फूटडिहा, तेतरिया, उप–वितरणी एवं भुड़ा करौरिया जलवाहा का खनन्–कार्य 5 वर्षों से रुका पड़ा है, जिससे किसानों की सिंचाई में कठिनाई होती है, यदि हाँ,

तो क्या सरकार उक्त उप–वितरणियों एवं जलवाहा का खनन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—प्रश्नाधीन वर्णित नहरें उत्तर कोयल जलाशय योजना से संबंधित है जिसकी नहरवार स्थिति निम्नवत् है:-

(1) रमडीहा लघु नहर (लं०–1.07 कि०मी०) इस नहर के निर्माण हेतु दिनांक 6 जून, 2012 को एकरारनामा किया गया है परन्तु भू–अर्जन मामले में ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। प्रशासन की सहायता से विरोध दूर कर कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) फुटहिया लघु नहर (लं०–3.36 कि०मी०) इस नहर के रेखांकन में मंदिर आ जाने के कारण ग्रामीणों द्वारा रेखांकन में बदलाव हेतु दबाव डाला जा रहा है। मामले के समाधान हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश की जा रही है।

(3) तेतरिया लघु नहर (लं० 3.05 कि०) यह लघु नहर आंशिक रूप से पूर्व से निर्मित है। नहर के 0.15 कि०मी० एवं 2.13 कि०मी० पर कार्य अधूरा है जिसे पूर्ण कराने हेतु दिनांक 11 जून, 2012 को एकरारनामा किया गया है। भू–अर्जन मुआवजा के भुगतान में विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इसका समाधान किया जा रहा है।

(4) धुआ–करौंदिया जलवाहा (लं०–1.22 कि०मी०) इसके निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

वितरणियों की जीर्णोद्धार

प्र–55. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नार्थ कोयल नहर नाउर, फुलवरिया, पुरत बिगहा, रिउर, बिशुनपुर, तेतरिया कुरा, पाती, कुल्हड़िया, चपरी, कढ़मरी, मिर्जापुर, महुआरी, बसडीहा, प्रितमपुर, बैरिया, बढ़की पाढ़ी, मोहर कर्मा वितरणियों एवं उप–वितरणियों के जीर्ण–शीर्ण एवं जर्जर होने के कारण अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वितरणियों एवं उप–वितरणियों की मरम्मती, उड़ाही एवं जीर्णोद्धार का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—प्रश्नाधीन वर्णित नहरें उत्तर कोयल जलाशय योजना की विभिन्न नहरें हैं। उक्त योजना के नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन के लिये दिनांक 25 मई, 2012 को 61.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नाधीन नहरों में से नाउर उप–वितरणी, रिउर शाखा नहर, कुशा लघु नहर, बैरिया लघु नहर तथा बसडीहा वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति में है। पाती लघु नहर, चपरी लघु नहर, मिर्जापुर लघु नहर तथा महुआरी उप–वितरणी के पुनर्स्थापन हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्य आवंटित किया जा चुका है। फुलवरिया लघु नहर, पुरतबीघा लघु नहर, बिशुनपुर उप–वितरणी, कुल्हड़िया उप–वितरणी, कढ़मरी लघु नहर, बढ़की पाढ़ी लघु नहर, मोहर कर्मा लघु नहर तथा प्रितमपुर उप–वितरणी के पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है तथा शम्भी लघु नहर के पुनर्स्थापन हेतु निविदा की प्रक्रिया चल रही है। तेतरिया लघु नहर आंशिक रूप से पूर्व से निर्मित है इस नहर के 0.15 कि०मी० एवं 2.13 कि०मी० पर कार्य अधूरा है। जिसे पूर्ण कराने हेतु दिनांक 11 जून, 2012 को एकरारनामा किया गया है। भू–अर्जन मुआवजा में विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इसके समाधान हेतु प्रयास किया जा रहा है। मार्च, 2014 तक पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य–473. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत एन०एच० 81 बसबुल्ला चौक से रंगीकोल, बलुआ संथाली होते हुए धीरगंज स्कूल तक की सड़क जर्जर हो जाने के कारण धीरगंज, हरफढ़ा मरोचा, बलुआ,

रानीकोल आदि गाँवों के 7 हजार नागरिकों के समक्ष आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत एन०एच० 81 बथनाहा चौक से रानीकोल, बलुआ रामपाली होते हुए पीरगंज स्कूल तक की सड़क राज्य कोर नेटवर्क के प्राणपुर प्रखंड के सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक 21 पर टी 02 से रानीकोल नाम पथ अंकित है। सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक एल 06 पर टी 02 से पीरपुर नामक पथ तथा राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक 44 पर एल 010 से बलुआपुर नामक पथ है। जो पी०एम०जी०एस०वाई० के अर्हता क्रमांक 152 पर है जिसका लिंक रूट सं० एल 059 है। इस प्रकार सभी पथ राज्य कोर नेटवर्क में शामिल है। क्रमानुसार उक्त पथों का निर्माण किया जा सकेगा।

सुदृढ़ीकरण कराना

त्र–155. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अन्तर्गत आजमनगर से दमदमा तक महानन्दा बाँध तथा महानन्दा बाँध के ऊपर सड़क जीर्ण–शीर्ण हो चुका है तथा बाँध की चौड़ाई कम रहने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएँ होती रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाँध की चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत झौआ दिल्ली दिवानगंज महानन्दा बाँया तटबंध (कुल लम्बाई 31.036 कि०मी०) पर आजमनगर प्रखंड में आजमनगर (5.90 कि०मी०) से दमदमा (11.085 कि०मी०) तक 5.185 कि०मी० की लम्बाई में बाँध के टॉप पर पथ निर्माण प्र०, कटिहार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। पथ निर्माण विभाग द्वारा इस पथ का मरम्मती एवं सम्पोषण करना है।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य–51. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड में जी०टी० रोड से महम्मदपुर तक 1.5 कि०मी० पक्की सड़क है जो काफी जर्जर एवं खराब हो चुकी है, जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जी०टी० रोड से महम्मदपुर तक सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इस वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं का चयन किया जा चुका है। पथों के अनुरक्षण हेतु सरकार गंभीर है। विभाग द्वारा पथों का अनुरक्षण नीति तैयार किया जा रहा है। (Maintainance Policy) वित्तीय वर्ष 2013–14 में पथों का अनुरक्षण प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किया जा सकेगा।

दोषियों पर कार्रवाई

पथ–1. श्री वीरेन्द्र सिंह—क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज एवं उत्तरी प्रखंड अन्तर्गत वर्ष 2010 में मिष्ठस से पर्वत पुर दशरथ बाबा के घर मेहलौर घाटी होते हुए भरण्डीह तक पथ का निर्माण किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुणवत्ता के अभाव में दो वर्ष बाद ही पथ जर्जर होकर गड्ढा में तब्दील हो गया है जिसके कारण दोपहिया एवं चारपहिया वाहन के परिचालन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच [illegible] दोषियों पर कारंवाई करने का एवं उक्त जर्जर सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, [illegible] नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) पथ Defect Liability के अन्तर्गत है। एक बार पथ के पैंट्स की मरम्मती संबंधित संवेदक से कराया गया था। पुन: पथांश में पैंट्स उभर गये हैं, जिन्हें मरम्मत संबंधित संवेदक से ही कराया जा रहा है। आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

(3) Defect Liability के अन्तर्गत संबंधित संवेदक से मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है। अतः कोई कारंवाई की आवश्यकता नहीं है।

कारंवाई करना

त्र–37. श्री विक्रम कुँवर—क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 4 अप्रील, 2012 को गोपालगंज जिला में अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय सह, डॉ० आवास एवं 100 (एक सौ) एम०टी० क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया, जिसमें निविदा में सफल रहने के बावजूद कार्य आवंटन नहीं होने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 17064/2012 दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 को आदेश पारित किया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक 995 (भ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 द्वारा सफल संवेदकों के साथ एकरारनामा कर कार्य कराने का आदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज को दिया जिसका अनुपालन अभीतक नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सफल संवेदकों को कार्य आवंटित करने एवं आदेश को नहीं मानने वाले कार्यपालक अभियंता, गोपालगंज के विरुद्ध कबतक कारंवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(3) सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 17064/12 प्रेम सागर यादव बनाम बिहार सरकार में पारित न्यायादेश दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 के आलोक में अभियंता प्रमुख द्वारा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल गोपालगंज को वित्तीय बीड खोलकर सफल संवेदकों के साथ एकरारनामा करने हेतु निदेशित किया गया है। पत्रांक 9954 (भ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 एवं पत्रांक 356 अनु०, दिनांक 25 फरवरी, 2013 के द्वारा कार्यपालक अभियंता को समुचित कारंवाई हेतु निदेशित किया गया है।

एप्रोच पथ का निर्माण

ग्राम्य–507. श्री विभाष चन्द्र चौधरी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड में दुर्गापुर बरदल्ला चौक से कटिहार मनिहारी सड़क को जोड़ने वाली पाँच किलो मीटर सड़क पर कारी कोसी नदी पर बालूगाट पुल का निर्माण हो चुका है, पुल के एक ओर एप्रोज रोड भी बन चुका है, परन्तु दूसरी ओर के एप्रोच रोड में एक किलो मीटर सड़क का निर्माण संबंधित किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि और मकान का मुआवजा नहीं मिलने के कारण बाधित है, यदि हाँ,

तो सरकार किसानों को उनकी निजी भूमि और मुआवजा देकर एप्रोच रोड का निर्माण पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि कारी कोसी नदी पर बालुघाट पुल का निर्माण हो चुका है, पुल के एक ओर एप्रोच रोड भी बन चुका है, परन्तु दूसरी ओर के एप्रोच रोड के लिए भूमि एवं मकान का मुआवजा लंबित है। प्राक्कलन पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया में है। तत्पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–540. श्री विनय कुमार सिंह—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखण्डान्तर्गत मही नदी पर ग्राम बसीजलाल एवं कनकपुर को जोड़ने वाली पुल (सेतु) निर्माण की मुख्य मंत्री सेतु योजना के तहत् वर्ष 2011–12 को जिला संचालन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलित राशि आवंटित क्षेत्र के राशि से अधिक होने के कारण वर्ष 2011–12 के द्वारा टेंडर नहीं किया जा सका ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल सोनपुर विधान–सभा क्षेत्र में जिला संचालन समिति द्वारा क्रमांक 5 पर अनुशंसित है। जिसकी अनुमानित लागत रू० 500.00 लाख है। जिला के लिए वर्ष 2011–12 के लिए कर्णांकित राशि 1620.00 (रुपये सोलह करोड़ बीस लाख) है। कर्णांकित राशि एवं योजना की प्राथमिकता में तालमेल के अभाव में पुल का चयन नहीं किया जा सका।

कटाव की रोकथाम

ग्र–101. श्री विनय बिहारी—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के पूजहां माई स्थान के समीप गंडक नदी कटाव करते–करते चम्पारण तटबंध के समीप पहुँच गई है जिसके रोक–थाम के लिए बोल्डर क्रेटिंग की जरूरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कटाव को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा बोरा में मिट्टी भरकर क्रेटिंग किया जा रहा है, जिससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कटाव की रोक–थाम के लिये बोल्डर क्रेटिंग कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक। नयी तकनीकी के तहत जी०ओ० बैग में बालू भरकर जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस सामग्री से राज्य के अन्य नदियों पर कटाव कार्य कराये गये हैं जो प्रभावकारी हुये हैं।

(3) पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के पूजहाँ में 403.7958 लाख रुपये की लागत से जी०ओ० बैग में स्थानीय बालू भरकर कटाव निरोधक कार्य कराये जा रहे हैं। अबतक 30 प्रतिशत कार्य हुये हैं और कार्य प्रगति में है।